Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 20 / 2024

श्री साहिल गुलाटी
निवासी– होटल एल्बी मसूरी हिल्स
मॉल व्यू स्टेट दुग्गल विला, रोड, मसूरी। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 03.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complaint submits and praysas under:-

I am writing to express my serious concern regarding the harassment from UPCL due to our earlier complaint filed to Grivance Redressal Fourum of their non-performa sanction of reduction resulting in monetary losses for us.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Since our grievance was lodged, the until consumption and corresponding bill amount have been increased arbitrarily. This irregularity can be clearly observed from the a past months. To our surprise and dismay, a bill amounting to over Rs. 5 Lakhs has been raised for the month of April 2024. Historically, our average bill over the past 4-5 years Rs. 55,000/-. This sudden spike in the bill amount is inexplicable and raises serious about the accuracy and fairness of the billin_ process. I request a through investigation into this matter to check wheather the units billed for this supply have indeed been consumed from the main feeders of UPCL.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1850, दिनांकित 25/05/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 03.01.2024 को चैक मीटर लगाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके पश्चात् परीक्षण खण्ड द्वारा दिनांक 09.02.2024 को चैक मीटर उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित किया गया व दिनांक 16.02.2024 को चैक मीटर फाईनल किया गया। चैक मीटर व मैन मीटर का विश्लेषण करने पर मेन मीटर के Y फेस पर करंट शून्य दर्शा रहा था। मीटर का चैम्बर खोलने पर मीटर की CT खराब पायी गयी। मीटर की पुरानी CT को नयी CT से बदल दिया गया।

अतः विद्युत परीक्षण द्वारा गयी रिर्पोट के आधार पर उपभोक्ता का 34.77 प्रतिशत कम खपत का विद्युत मूल्यांकन कर अप्रैल 2024 माह के विद्युत बीजक मे जोड दिया गया। उपभोक्ता का किसी भी प्रकार से कोई भी उत्पीडन

नहीं किया जा रहा है न ही उन पर कोई पैनल्टी लगायी गयी है। उपभोक्ता के मीटर की एक फेज की करंट शून्य पाये जाने के कारण कम खपत का मूल्यांकन कर बीजक में जोड़ दिया गया।

उक्त के संबंध में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 1976, दिनांकित 03/06/2024से मंच को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वाद की सुनवाई के दिनांक 27.05.2024 के दौरान उपभोक्त/प्रतिनिधि के द्वारा उनके परिसर पर दिनांक 10.01.2024 को स्थापित चैक मीटर की सीलिंग प्रमाण पत्र की मांग की गई थी तथा उसका विवरण चाहा गया था। विद्युत परीक्षण खण्ड(न0), 18 ई0सी0रोड, देहरादून द्वारा होटल एल0बी0 के संयोजन सं0 700K000000870 पर दिनांक 10.01.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया था। जिसकी सीलिंग प्रमाण पत्र तथा एम0आर0आई रिर्पोट की प्रति संलग्न है, चूंकि, उपभोक्ता का भार 20 कि0वा0 था। परीक्षण खण्ड द्वारा उनके मीटर के सापेक्ष Whole Current Meter 3x4x240 स्थापित किया गया था, जिसको दिनांक 09.02.2024 को उतार लिया गया (सीलिंग प्रमाण पत्र संलग्न) जिसमें उनके द्वारा Remark में लिखा गया है कि पुराना चैक मीटर 06.02.2024 को Overload के कारण जल गया था (उक्त मीटर की फोटो संलग्न)। दिनांक 09.02.2024 को ही उपभोक्ता के परिसर पर पुनः चैक मीटर स्थापित किया गया था, तथा उसी सीलिंग में पुराने जले हुये मीटर का विवरण भी लिखा गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षें0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली में उपलब्ध सीलिंग प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया। सीलिंग प्रमाण पत्र क्रमांक 21/151, दिनांकित 09.02.2024 में मोडम/सिम/सील का विवरण जांचा गया जो निम्नवत् है–

नई लगाई गई सील– meter Body -3774861 ,Meter Box 8466893 अंकित है। शेष सभी Meter T.P, CT/PT/ Chamber , MRZ Reading Port, LOK No. Continuity/ Paper seal no./ Seal status में खाली छोड़ा गया है, एवं उक्त सीलिंग में ही पुराने मोडम/ सिम उतारी गई सील के विवरण में Meter Body -H956065 ,Qu102850, Meter T.P – V241889, H957005, Meter Box-8466891 or CT/PT/ Chamber&8466892 अंकित किया गया है। जबकि चैक मीटर फाईनल किये जाने वाले सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 23/151 में नई लगाई गई सील– meter Body -3774861,Meter Box 8466893 अंकित है शेष सभी Meter T.P, CT/PT/ Chamber , MRZ Reading Port, LOK No. Continuity/ Paper seal no./ Seal status में खाली छोड़ा गया है, एवं उक्त सीलिंग में ही पुराने मोडम/ सिम उतारी गई सील के विवरण में Meter Body -H956065 ,Qu102850, Meter T.P – V241889, H957005, Meter Box-866484 or CT/PT/ Chamber-8466891, 8466892 अंकित किया गया है। जबकि चैक मीटर स्थापित किये जाते समय पुराने Meter Box seal 8466891 अंकित किया गया है एवं CT/PT/ Chamber में सिर्फ एक ही नंबर जो

निम्वत् है– 8466892 दर्शाया गया है। सीलिंग प्रमाण पत्रों के अध्ययन से स्पष्ट है कि चैक मीटर फाईनल करने से पूर्व ही Meter Box सील नं0 8466891 हटा दी गई थी, जिस कारण चैक मीटर फाईनल सीलिंग प्रमाण पत्र में Meter Box सील नं0 8466891 को उक्त के लिए निर्धारित स्थान पर अंकित न कर Meter Box सील नं0 में 866484 को अंकित किया गया है। उपरोक्त सीलिंग प्रमाण पत्रों के अवलोकन से मंच के संज्ञान में यह भी आया है कि विपक्षी द्वारा चैक मीटर के CT/PT/Chamber को सील नहीं किया गया था, क्योंकि सीलिंग प्रमाण पत्रों में CT/PT/Chamber में सील नंबर का विवरण अंकित नही किया गया है, इसलिए यह भी संभावना है कि जब चेक मीटर अध्ययन प्रक्रिया में था, तब सीटी बदल दी गई होगी, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3 CT Ration and accuracy of CT/PT, wherever applicable shall also be tested along with meter** के विनियमों एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नही किया गया है, जिस कारण चैक मीटर मापक की शुद्धता पर संदेह उत्पन्न होता है। एल0टी0 मीटरिंग सिस्टम के मामले में और मीटर की परिभाषा **Uttarakhand Electricity**

Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 1 General 1.2 Definations (jj) के अनुसार **CT** भी मीटर का भाग है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के उपरान्त परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक को 34.77 प्रतिषत धीमा घोषित करने वाले चैक मीटर अध्ययन पर भरोसा नही किया जा सकता है, जिससे परिवादी के मामले में नियमों का बल है और उनके द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिउत्तर भी उनके मामले का समर्थन करता है।

मंच द्वारा माननीय अैम्बडसमैन (विद्युत) 82, वंसत विहार फेस–1 देहरादून के वाद संख्या 43/2022 एवं वाद संख्या 03/2023 में पारित आदेशो का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त प्रकरणों में विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत मापकों की परीक्षण प्रक्रिया का माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियम अनुसार पालन नही किया गया है, जिस कारण माननीय अैम्बडसमैन (विद्युत) 82, वंसत विहार फेस–1, देहरादून द्वारा चैक मीटर एवं मेन मीटर में

पाए गये अंतर के आधार पर आरोपित निर्धारणों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक उसी तरह विद्युत मापक की परीक्षण प्रक्रिया में चूक इस मामले में भी पायी गई है।

अतः उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा चैक मीटर फाईनल सीलिंग संख्या 23/151 दिनांक 16.02.2024 में चैक मीटर व मेंन मीटर में 34.77 प्रतिशत स्लो के अन्तर के आधार पर वादी के बिल में समायोजित राशि रू0 397207.94/– के निर्धारण को समाप्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.3** के विनियम अनुसार विद्युत मापक के परीक्षण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 23/151 दिनांक 16.02.2024 में चैक मीटर के सापेक्ष मेन मीटर के 34.77 प्रतिशत स्लो पाये जाने के आधार पर किये गये निर्धारण राशि रू0 397207.94 को समाप्त किया जाता है। परिवादी द्वारा उक्त निर्धारण के सापेक्ष जमा की

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

गई धनराशि को समायोजित करते हुए संशोधित बिल जारी करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/03/2025 — 03-03-2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 32 / 2024

श्री साहिल गुलाटी — परिवादी
निवासी– होटल गंगा व्यू, मदाकिनी इंटरनैशनल ग्रुप,
एच.आर.डी. रोड, ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 03.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding the discrepancies in electricity bills issued by UPCL. The Complaint submits and praysas under:-

I am writing to bring to your attention the ongoing issues regarding the discrepancies in our electricity bills issued by UPCL. Despite our Previous attempts to resolve this matter, no action has been taken, leading us to seek further assistance. As detailed in our previous communication on june 10,2024, addressed to the Executive Engineer at UPCL, we have identified significant inconsistencies between the actual meter readings and the billed units. Below are the recorded meter readings for your refrence.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः आपको पुनः सूचित करना है कि आपका मीटर सही कार्य कर रहा है और आपके संयोजन की बिलिंग नियमानुसार KVAH Reading में की जा रही है KVAH Base में सही बिलिंग होने के कारण किसी प्रकार संशोधन नही किया जा सकता है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से मंच के संज्ञान में आया है कि परिवादी द्वारा अपनी मूल शिकायत में अपनी सामान्य खपत से अधिक के विद्युत खपत के प्रेषित बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित कराया गया है। परिवादी द्वारा अपनी शिकायत को ... प्रदान करने हेतु शिकायती पत्र में पिछले उपभोग की गई माहवार विद्युत यूनिटों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी की ओर से बताया गया कि पूर्व में 28.02.2024 को सहायक अभियन्ता (मापक) के द्वारा चैक मीटर फाइनल करने पर भी Main Meter No. सही पाया गया है।

सुनवाई तिथि दिनांक 09.09.2024 को परिवादी द्वारा चैक मीटर की रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त करते हुए मुख्य मापक की शुद्धता पर प्रश्न किया गया, इसी क्रम में मंच की ओर से विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मेंन विद्युत मीटर को शुद्धता जाँच हेतु मीटर मेक कंपनी को भेजा जाये एंव मीटर के सभी पैरामीटर की पूर्ण रूप से जाँच कर रिपोर्ट मंच के सम्मुख प्रस्तुत करें। विपक्षी द्वारा उक्त के क्रम में मीटर मीटर को मीटर मेक कंपनी में शुद्धता जाँच कराये जाने के बजाय अपने पत्रांक संख्या 2437 दिनांकित 21.09.2024 के माध्यम से मंच से अनुरोध किया गया कि मंच अपने उपरोक्त निर्देश पर पुर्नवलोकन करें जिसे मंच की ओर से खारिज किया गया। इसके बाद भी विपक्षी की ओर जब मीटर को शुद्ध के लिए नही भेजा तो मंच की ओर से अधिशाशी अभियंता को स्वयः अगली नियत तिथि में मंच के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था, जिसका पालन विपक्षी द्वारा

नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के निर्देशों की अवहेलना की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी परिवादी के विवादित मापक संख्या 11136099 को मीटर मेक कंपनी में शुद्धता जॉच हेतु भेजे एवं उक्त मापक की जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विवादित मापक संख्या 11136099 को मीटर मेक कंपनी में शुद्धता जॉच हेतु भेजे एवं उक्त मापक की जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

03-03-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 82 / 2024

श्री उमेश कुमार — परिवादी
निवासी– कंडोली कशवली
देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 04.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding New electricity Connection.

The Complainant submits and prays as under:-

I have been living in the village kandoli kashwali dehradun since last 3 years. I have been suffering with darkness. I applied but department ignoreed me for 6 months. I applied again on 28 Nov 23.You are requested to help me.

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2408, दिनांकित 03 / 10 / 2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री उमेश कुमार द्वारा जहाँ पर प्लाट खरीदा गया है, वह भूमि लगभग 25 बीघा है, जो चारो तरफ से बिल्डर श्री नितिन भाटीया के द्वारा बाउण्ड्री की गयी है, जिसका इलेक्ट्रीफीकेशन किया जाना है। श्री नितिन भाटिया बिल्डर द्वारा कॉलोनी में सिमेन्ट के पोल लगा रखे है, तथा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया है कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कॉलोनी का इलेक्ट्रीफीकेशन कराया जाना शेष है। श्री नितिन भाटिया जी ने दिनांक 03.10.2024 को अवगत कराया कि इलेक्ट्रीफीकेशन के लिये जो भी दस्तावेज कार्यालय में जमा कर दूँगा। तत्पश्चात् इलेक्ट्रीफीकेशन कर विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना संभव हो पायेगया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा जिस स्थान पर विद्युत संयोजन आवेदन किया गया है, उक्त स्थान पर अभी बिल्डर श्री नितिन भाटीया के द्वारा इलेक्ट्रीफीकेशन कराया जाना शेष है, जिस कारण विपक्षी द्वारा परिवादी को बिना विद्युत लाईन के निर्माण के बिना संयोजन अवमुक्त नहीं किया गया है।

उपरोक्त चर्चा का अवलोकन करने के पश्चात् मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection** के नियमानुसार कार्यवाही किये जाना तर्कसंगत एवं न्ययोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3**

Release of New Connection के नियमानुसार कार्यवाही करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

04/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

04.03.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 83/2024

श्री जय राम पाल — परिवादी
निवासी– 06 नं0 पुलिया गढ़वाली कालोनी
रिंग रोड लेन नं0– 7, रायपुर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके स्वीकृत विद्युत भार को बिना उनके आवेदन के 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, जब से मेरा मीटर 2 कि0वा0 का लगा है। दिनांक 03.02.2023 को मेरा मीटर 03 कि0वा0 का दर्शा रहा है जबकि मेरे घर में ऐसा कोई भी उपकरण नहीं चलता है जिससे मेरा बिल बहुत ज्यादा आये। इस बात की सूचना मैंने अपने घर के नजदीक आराघर बिजली घर पर की है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 855, दिनांकित 01/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री जयराम पाल, निवासी 06 नं0 पुलिया, गढ़वाली कालोनी, रिंग रोड़, लेन नं0 7, रायपुर के सम्बन्ध में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अवगत कराना है कि उपभोक्ता का माह 02/2024 के बिल में उच्चतम मांग (एम0डी0) 2.58 कि0वा0 दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत भार 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 कर दिया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता के विद्युत मापक की एम0आर0आई0 कराई गई, जिसके अध्ययन पश्चात् यह कहना संभव हो पाया है कि उपभोक्ता के पिछले चार बिलों में उच्चतम मांग मांग (एम0डी0) 2 कि0वा0 से अधिक नहीं रही। अतः मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्यूलेशन 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों साथ आवेदन करने पर स्वीकृत भार 2.0 कि0वा0 कर दिया जायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत भार को बिना उनके आवेदन के 01 किलोवाट से 03 किलोवाट कर दिया गया है, जबकि उनकी खपत कम है, विद्युत भार बढ़ाये जाने के कारण उनकी विद्युत बिल अधिक आ रहा है।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का माह 02/2024 के बिल में उच्चतम मांग (एम0डी0) 2.58 कि0वा0 दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत भार 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 कर दिया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता के विद्युत मापक की एम0आर0आई0 कराई गई, जिसके अध्ययन पश्चात् यह कहना संभव हो पाया है कि उपभोक्ता के पिछले चार बिलों में उच्चतम मांग (एम0डी0) 2 कि0वा0 से अधिक नहीं रही। मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्यूलेशन 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों साथ आवेदन करने पर स्वीकृत भार 2.0 कि0वा0 कर दिया जायेगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो.
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच के संज्ञान में आया है कि बिल चक्र 07/2023 से 01.03.2024 विद्युत भार 01 किलोवाट से 03 किये जाने की तिथि तक परिवादी के विद्युत मापक में **MD 2.58** किलोवाट से अधिक नहीं रही है अतः यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.2.3** के तहत् किसी भी अतिरिक्त मांग उल्लंघन हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.2.(b) " Where MDI recording feature is available in consumer meter, in such cases the Licensee shall analyse the permissible percentage variation in contracted load for three consecutive billing cycles as per Table 5.2 below and if the maximum demand is found to be exceeding the permissible limits then a system generated notice alongwith the bill of 4th billing cycle shall be issued to the consumer informing either to restrict his load within the contracted load or apply for additional load.

In case the consumer does not restrict its load or does not apply for additional. load, and continues to exceed the contracted load/demand in the 5th-billing cycle, the Licensee shall enhance the contracted load of the said Domestic consumer in

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

6th billing cycle on the basis of average of the MDI recorded in the previous 5 billing cycles and also recover the applicable charges for load enhancement as per relevant Regulations. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में विपक्षी का यह कथन कि मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रेग्यूलेशन 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों साथ आवेदन करने पर स्वीकृत भार 2.0 कि0वा0 कर दिया जायेगा अस्वीकर किया जाता है एवं विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के विद्युत भार को 01 किलोवाट से 03 किलोवाट किये जाने की तिथि दिनांक 01.03.2023 से विद्युत भार 02 किलोवट किये जाने तक के सभी बिलों में फिक्स चार्ज 02 किलोवाट के आधार पर चार्ज कर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के विद्युत भार को 01 किलोवाट से 03 किलोवाट किये जाने की तिथि दिनांक 01.03.2023 से विद्युत भार 02 किलोवट किये जाने तक के सभी बिलों में फिक्स चार्ज 02 किलोवाट के आधार पर चार्ज कर संशोधित बिल परिवादी को प्रेषित करना सुनिश्चित करे। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135-2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

27/03/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकि सदस्य

27.03.25 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 86 / 2024

श्री इसहाक पुत्र श्री अलियास,
निवासी– ग्राम घमोलो, खुशहालपुर,
सहसपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 05.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका बिजली का बिल रू0 46463.00 का वर्तमान में आया है, जो कि सीमा से बहुत ज्यादा अत्यधिक है जिस कारण श्री इसहाक का परिवाद भयभीत है, महोदय प्रार्थी एक निर्धन एवं मजदूर व्यक्ति है। महोदय जी इतना बिल आना एक गम्भीर विषय है, इस समस्या का निराकरण करने तथा कोई समाधान निकालने का प्रयास करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4288, दिनांकित 10/10/2024 से मंच को निम्नवत् अवगत है:–

1. उपभोक्ता का विद्युत संयोजन सं0 **VN11612455928** दिनांक 05.05.2017 को **STN-10/ OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4 KW** श्रेणी में निर्गत किया गया था। जिसका विद्युत भार 03 कि0वा0 है।
2. परिवादी की शिकायत विद्युत बीजक अधिक आने से सम्बन्धित है, जिसकी जॉच करने पर पाया गया कि परिवादी को विद्युत बीजक रीडिंग के आधार पर ही प्रेषित किये जा रहे हैं।
3. परिवादी को यदि विद्युत बीजक अधिक प्रतीत होता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा अपने विद्युत मीटर के खपत की जांच करने के लिए चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
4. परिवादी को उसकी खपत के आधार पर सही बीजक प्रेषित किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

विपक्षी की एक अन्य आख्या दिनांकित 28.11.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 12.11.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया था, जिसे दिनांक 20.11.2024 को फाईनल किया गया, मीटर की खपत में कोई अन्तर नही पाया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को सभी विद्युत बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियमानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

05/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

05/03/2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electric'y Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 90 / 2024

श्री कैलाश चंदोला — परिवादी
निवासी– राम नगर डाण्डा,थानो
ऋषिकेश, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 04.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complaint submits and praysas under:-

I , Sh. Kailash Chandola, am a sincere and law abiding citizen of India. I am residing in Ram Nagar Danda, Thano, Rishikesh. I am consumer covered vide connection no. DW14311056698 & account No. 40117800182. I am regulatly paying my electricity bill without default and my electricity bill have never exceeded Rs. 2000/- per billing cycle. It can be verified from previous years consumption. Recently I am in receipt of bill no. 289802406210000013 dt 21-06-2024 connection No. DW14311056698 amounting Rs. 1,57,021/- for the period 28-11-2023 to

21-06-2024 for 20638 units, I wish to inform you that the bill of this exaggerated amount has been deliberately send to harass me. The demand of bill amount for the bill reading Units of 20368 shown in bill is arbitrary. The bill raised by department is totally wrong as the meter was changed on 31-08-2022 and not on 03-01-2024 as reported in the bill dt 21-06-2024 (The Photocopyof the receiptof change of meter is enclosed for refrence). The bill till the month 2022 (meter reading dt. 26-05-2022) was paid on the basis of meter reading which was 14010, thereafter the reading for the month of july 2022 (meter reading dt. 13-07-2022) was not recorded by the meter reader and average bill for 74 unit was demanded/paid by the applicant. The meter of the applicant was changed on 31-08-2022 so as per records the meter was non functional from 26-05-2022 to 31-08-2022 i.e. for 97 days only. Through I have paid demanded/ adhoc bill for the said period but I agree to pay the remaining bill for these 97 days as per department caluculation in such cases.

The bill for the bill reading 5266 (meter reading dt 21-06-2024) demanded from the applicant is also arbitrary. The applicant had already paid for 2677 unit for the period from the installation of new meter till 21-06-2024. As per meter reading the bill for 2589 unit is due on the applicant. It has happened due to non visit of meter reader for taking meter reading. The meter reader never visited my premises and always reported my premises closed. Had the visited regularly to take

meter reading I would have paid for the remaining units on time. I am being made to suffer on part of negligence of meter reader. As now the units have accumulated the remaing units will be charged on higher rate. Since my average monthly consumption is approx. 150 units I may be charged for these balance units according to slab applicable in my case . I am agreeing to pay for 2589 units. It is kindly requested to re-examine the matter and send me the correct bill. It may kindly be understood that issue of bill of such huge amount without giving due deliberation can lead to shock and harassment of the consumer. It is also requested to direct meter reader to take metre reading regularly so that such situation may not arise in future.

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 521, दिनांकित 19/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता का संयोजन सं0 DW14311056698 के माह अगस्त 31.08.2022 को मीटर चेंज किया गया था। जिसके पुराने मीटर नं0 712103 में मीटर चेंज करते समय रीडिंग 29112 KWH थी। किन्तु उस समय भी उपभोक्ता के बिल पर Balance Unit 15102 आ रही थी। पुनः जून 2024 को मीटर अपडेट किया गया किन्तु कुल रीडिंग 15102+5266=20368 यूनिट का बिल उपभोक्ता का अपडेट करना पड रहा है, यदि उपभोक्ता का बिल निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है:–

वर्तमान में उपभोक्ता पर बकाया दिनांक 29.09.2024	–	161077.00
पूर्व में दिया गया रीडिंग का बिल दिनांक 26.05.2022	–	287.00 रीडिंग 14010 KWH
Meter change on 31-08-2022 final reading		29112 KWH

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Balance unit date of meter change 29112-14010 = 15102
Reading date on bill revision = 5266
Total Unit = 20368
Bill revision 26-05-2022 to 21-06-2024 = 25 month

EC 2500 x 3-40 = 8500.00
2500 x 4.90 = 12250.00
5000 X 6.70 = 33500.00
10368 X 7.35 = 76204.80

Total = 130454.80
Fix Charge = 3785.32
ED .15 X 20368 = 3055.20
Fppca .18 X 20368 = 3666.24
Grand Total = 140961.56
Bill 07/24 = 1677.76
Bill 08/24 = 1392.31
Grand Total = 145955.63
Payment = 19548.00
Say amount = 126407.63

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 07/2022 से 06/2024 अर्थात् 14 विद्युत बिल चक्रों में एन०ए० के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये जिस पर परिवादी को आपत्ति है। परिवादी की शिकायत के अनुसार उनके

द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने के संबंध मे विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया, बावजूद उसके विद्युत विभाग द्वारा उनका खराब मीटर नही बदला गया जिस कारण उन्हें उपरोक्त अवधि में उन्हें एन0ए0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे कि उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हे आर्थिक हानि हुई है। दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा खराब मीटर को बदलने में लेट लतीफी बरती गयी है। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुअ मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति मे बिल चक्र 07/2022 से 06/2024 अर्थात् 14 विद्युत बिल चक्रों में एन0ए0 में से UERC के वर्णित उपरोक्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें एवं शेष सभी 12 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित 07/2022 से 06/2024 अर्थात् 14 विद्युत बिल चक्रों में एन0ए0 में से UERC के वर्णित उपरोक्त विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें, शेष सभी 12 विद्युत बिलों निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि जून 2024 में प्रेषित बिल में 5266 यूनिट नये विद्युत मापक की रीडिंग है, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उक्त रीडिंग को नये मापक स्थापित होने की तिथि से 08 जून 2024 तक की खपत को बराबर बिलिंग चक्रों में बाटते हुये Pro-rata आधार पर संशोधित करें इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

04/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

04.03.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Elec icity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 92/2024

श्रीमती मनोरमा रमोला — परिवादी
निवासी– मकान सं0 3, नियर रोज गार्डन
ट्रासंफार्मर वाली गली हरिद्वार रोड,
जोगीवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 04.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके 03 फेज के सापेक्ष भुगतान की गई धनराशि वापस कराये जाने के सम्बन्ध में वाद योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा मीटर कनेक्शन नं0 9771243154660 अकाउंट नं0 40109831206 मेरा 05 कि0वा0 का 3 फेज का कनेक्सन है। वर्ष 2012 में मैंने 04 कि0वा0 को 05 कि0वा0 में अपग्रेड करवाया था जिसकी रसीद स0–12 पुस्तक संख्या 099982 दिनांक 09.10.2012 में रूपये 1320/– जमा करवाये गए थे। उपरोक्त तिथि से मेरे द्वारा विद्युत विभाग से लगातार संपर्क किया जा रहा था कि मेरे विद्युत मापक को 3 फेज मीटर में परिवर्तित कर दिया जाये परन्तु विभाग द्वारा आश्वासन दिये जाते रहे परन्तु मीटर आज तक की तिथि तक भी सिंगल फेज से 3 फेज में परिवर्तित नही किया गया जिसका की मै 2012 से 3 फेज मीटर के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क़ो0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अपने बिल में नियमानुसार भर रही हूँ जो कि माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का उल्लंघन है जिसके आधार पर विद्युत उपभोक्ता होने के नाते माननीय विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति पाने की ब्याज सहित पाने की अधिकारी हूँ। अतः मंच से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए विद्युत नियामक आयोग द्वारा नियत प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करने की कृपा करें। जिससे की प्रार्थीनी को न्याय मिल सके।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक शून्य, दिनांकित शून्य से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती मनोरमा रमोला निवासी मकान सं0 3, नियर रोज गार्डन, हरिद्वारा रोड, जोगीवाला के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत विभाग द्वारा 01 फेज या 3 फेज के आधार पर कोई भी चार्ज नही लिया जाता है केवल स्वीकृत भार पर ही फिक्सड चार्ज लिया जाता है। अतः उपभोक्ता से भी इसी आधार पर फिक्सड चार्ज लिया गया, चूंकि पूर्व में इस सम्बन्ध में विभाग के संज्ञान में आने के पश्चात् उपभोक्ता को घर तक दिनांक 10.10.2024 को 3 फेज लाईन बनाकर 3 फेज सप्लाई दे दी गयी है, चूंकि पूर्व से भी उपभोक्ता 2 फेज सप्लाई प्रयोग की जा रही है एवं फिक्सड चार्ज केवल स्वीकृत भार के आधार पर लिया जा रहा है। अतः फेज के आधार पर बिल में लिये गये फिक्सड चार्ज में संशोधन न्यायोचित नही होगा। अतः परिवाद निरस्तारित करने की कृपा करें।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की मूल शिकायती पत्र के अनुसार उनके द्वारा रसीद संख्या 12 पुस्तक संख्या 099982 दिनांकित 09.10.20212 को अपने विद्युत संयोजन के भार वृद्धि हेतु रू0 1320.00 जमा कराये गये थे, जिसके क्रम में विद्युत विभाग द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 44/1240 के द्वारा उनके परिसर पर थ्री फेज मीटर संख्या EL7288 दिनांक 21.10.2012 को स्थापित किया गया परंतु उक्त तिथि से ही थ्री फेज विद्युत मापक से सिंगल फेज सप्लाई परिवादी को दी जा रही है एवं थ्री

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

फेज के अनुसार फिक्स चार्ज लिये जा रहे। विपक्षी द्वारा शिकायत दर्ज कराये जाने की तिथि दिनांक 04.10.2024 तक भी थ्री फेज मीटर से सिंगल फेज की ही सप्लाई प्रदान की जा रही है।

विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में मंच को अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा 01 फेज या 3 फेज के आधार पर कोई भी चार्ज नही लिया जाता है केवल स्वीकृत भार पर ही फिक्सड चार्ज लिया जाता है। विपक्षी के कथन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा थ्री फेज 5 किलोवाट भार स्वीकृत होने की तिथि दिनांक 21.10.2012 से ही 5 किलोवाट के आधार पर फिक्स चार्ज का भुगतान किया जा रहा है, जबकि परिवादी के परिसर पर विद्युत विभाग द्वारा थ्री फेज की लाईन निर्माण दिनांक 10.10.2024 को किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा रसीद संख्या 12 पुस्तक संख्या 099982 दिनांकित 09.10.2012 को अपने विद्युत संयोजन के भार वृद्धि हेतु रू0 1320.00 जमा कराये गये तथा विपक्षी द्वारा दिनांक 10.10.2024 थ्री फेज की लाईन निर्माण किया गया अर्थात विपक्षी द्वारा 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के बजाय लगभग 12 वर्षों उपरान्त परिवादी के भार संबंधी आवेदन को अमल में लाया गया। इस प्रकार विपक्षी ने विनियम का उल्लंघन करते हुये लोड वृद्धि में लगभग 12 वर्षों का विलम्ब किया है। यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Standards Of Perfomance) Regulations, 2022** के **Schedule iii** के बिन्दु 1(3) उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमे माननीय् आयोग द्वारा लोड बढ़ाये जाने पर की गयी देरी पर उपभोक्ता को रू0 50.00 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। चूंकि इस प्रकरण में विभाग द्वारा लोड बढ़ाये जाने में लगभग 12 वर्षों की देरी की गयी है। अतः मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त विनियम के आलोक मे परिवादी को उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति दिलाया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 21.10.2012 थ्री फेज 5 किलोवाट विद्युत मापक स्थापित होने की तिथि से दिनांक 10.10.2024 थ्री फेज लाईन निर्माण कराये जाने की तिथि अर्थात् लगभग 12 वर्षों के विलम्ब के लिए परिवादी को नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करे। विपक्षी इस आदेश की प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

04/03/2025 04-03-2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 94/2024

मै0 ग्रेटेक टेलिकॉम टैकनोलजी प्राईवेट लि0, — परिवादी
निवासी– खसरा नं0– 122 एम0आई0 सेन्ट्रल होप टाऊन
सेलाकुई, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 05.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainent registered the complaint regarding load reduction. The Complainent submits and praysas under:-

We have applied for load reduction on 06-07-2024, regulatory touch with Premnagar/Selaqui officiacls through letters/personal visits (Copies enclosed) but matter is still pending/unresolved.

उपरोक्त के संन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1239, दिनांकित 23/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड मोहनपुर, देहरादून के कार्यालय पत्रांक संख्या 3373/वि0वि0ख0(मोहनपुर)देहरादून/सी0जी0आर0एफ0/2024–25 दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में वाद संख्या 94/2024 मै0 ग्रटेक टैक्नोलोजी प्राईवेट लि0, नि0–खसरा नं0

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जाभवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

122 एम0आई0 सेन्ट्रल होप टाउन, सेलाकुई, इण्डस्ट्रीयल एरीया देहरादून बनाम उपाकालि के संबंध में आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता के विद्युत भार घटाने हेतु उपभोक्ता से अनुबन्ध से सम्बन्धित अभिलेख वांछित है खण्ड कार्यालय में विद्युत भार घटाने हेतु उपभोक्ता से अनुबन्ध अभिलेख जमा किये जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की मूल शिकायती पत्र के अनुसार उनके द्वारा दिनांकित 06.07.2024 को अपने विद्युत संयोजन के भार घटाये जाने के लिए आवेदन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के आवेदन दिनांक 06.07.2024 को अपने पत्रांक संख्या 1441 दिनांकित 10.07.2024 द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया था, कि परिवादी द्वारा आवेदित भार घटाने संबंधी आवेदन एवं विगत तीन–चार बिलिंग चक्र में प्रदर्शित अधिकतम मॉग **(MD)** के आधार पर विद्युत भार घटाया जाना सम्भव नहीं है। जबकि इसी कम में उपखण्ड अधिकारी विनीत गुप्ता की आख्या पत्रांक संख्या 1239/वि0वि0ख0/उपाकालि/एच–7 दिनांक 23.10.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत भार घटाने हेतु उपभोक्ता से अनुबन्ध से सम्बन्धित अभिलेख वांछित है खण्ड कार्यालय में विद्युत भार घटाने हेतु उपभोक्ता से अनुबन्ध अभिलेख जमा किये जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेखों अनुसार परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 08.08.2024 को विद्युत लोड घटाये जाने हेतु आवेदन किया था जिसका शुल्क परिवादी द्वारा दिनांक 22.09.2024 को जमा किया गया, जबकि तिथि 05.11.2024 को लोड घटाया गया। अतः स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के बजाय 44 दिन में विद्युत लोड

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्वॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

घटाया गया है, इस प्रकार विपक्षी ने विनियम का उल्लघन करते हुये लोड घटाये जाने में 14 दिन का विलम्ब किया है।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Standards Of Perfomance) Regulations, 2022** के **Schedule iii** के बिन्दु 1(3) उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमे माननीय् आयोग द्वारा लोड घटाये जाने पर की गयी देरी पर उपभोक्ता को रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। चूंकि इस प्रकरण में विभाग द्वारा लोड घटाये जाने में 14 दिन की देरी की गयी है। अतः मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त विनिवन के आलोक में परिवादी को उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति दिलाया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि लोड घटाये जाने में हुये विलम्ब के लिये परिवादी को (14 दिन x 50 रूपया) रु0 700.00 की क्षतिपूर्ति प्रदान करे। विपक्षी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर** विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

05/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

05/03/2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 95/2024

श्री आर0एस0यादव, परिवादी
निवासी– 100, बेल रोड पोस्ट क्लेमेन्टाउन,,
जिला–देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,(दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक : 07.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकि सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 40105815443 में प्रेषित आई0डी0एफ0 कि विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मेरा कनैक्शन संख्या 40105815443 जिसका पता 100 बेल रोड पोस्ट क्लेमेन्टाउन देहरादून है, मुझे जुलाई 26 को मेरे घर का बिजली बिल मिला पूछने पर मीटर रीडर ने कहा कि मीटर खराब है आई०डी०एफ० का बिल आ रहा है, सर मेरा मकान 6 महीने से बंद पड़ा हुआ था वहां कोई नही रहता था मीटर रीडर से मैने पुछा कि आपने इसकी शिकायत क्यो नही किया या मेरे को फोन कर देते के मीटर खराब है, मीटर रीडर ने कहा कि मैने शिकायत कर दी है किसी ने अटेन्ड नहीं किया फिर मैने प्रार्थना पत्र एस०डी०ओ० टर्नर रोड को दिया उन्होने कहा कि

पहले मीटर की शिकायत करो फिर मीटर बदलने के बाद जो एक महीने की रिडिंग आयेगी उसके आधार पर हम बिल का संशोधन कर देगे मैने मीटर की शिकायत 27.07.2024 को ही कर दिया था लेकिन मीटर 24.09.2024 को बदला गया मेरा कनेक्शन 08.10.2024 को बिना मुझे बताये काट दिया गया है उसी दिन शाम को एस०डी०ओ० सर से मेरी बात हुई और सारी बात सुनने के के बाद उन्होने कनैक्शन जुडवा दिया तथा रिडिंग लेकर कार्यालय में आओ दूसरे दिन एस०डी०ओ० सर से मिलने के बाद रीडिंग जो 60 यूनिट थी एस०डी०ओ० कार्यालय में बताया उन्होने बिल में कोई सुधार करने से मना कर दिया और अगले बिल पर सुधार करने का आश्वासन दिया मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है मै संशोधित बिल को जमा करने को तैयार हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि 27.07.2024 को डिपार्टमेन्ट को जो सूचना आई०डी०एफ०बिल संशोधन को दिया था उस पर आवश्यक कार्यवाही करके मेरे बिल संशोधित करने की कृपा करें जिससे मै समय पर बिल का भुगतान कर सकूं। आपकी अति कृपा होगी।

उपरोक्त के संबंध में उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 675 दिनांकित 04/11/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या SD25534099464 के बिलों के आई0डी0एफ0 में आने के संबंध में शिकायत की गई है। अवगत कराना है कि उपभोक्ता को दिनांक 19.12.2023 से 29.08.2024 तक आई0डी0एफ0 के बिल निर्गत किये गये हैं, जो कि पूर्णतः विभागीय नियमानुसार ही प्रेषित किये गये है, शिकायत पर उपभोक्ता का मीटर दिनांक 14.09.2024 को बदला गया, आज दिनांक 04.11.2024 को उपभोक्ता के नये मीटर पर रीडिंग 165 पाई गई है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक 10/2023 में एन0ए0 के आधार पर विद्युत बिल

प्रेषित किये गये, इसके उपरांत 12/2023 से 08/2024 अर्थात् 09 विद्युत बिल चक्रों में आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये जिस पर परिवादी को आपत्ति है। परिवादी की शिकायत के अनुसार उनके द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने के संबंध में विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया, बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा उनका खराब मीटर नही बदला गया जिस कारण उन्हें उपरोक्त अवधि में उन्हें एन0ए0/आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे की उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि हुई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा खराब मीटर को बदलने में लेट लतीफी बरती गयी है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदली जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुअ मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र के साथ मीटर खराब होने के संबंध में विपक्षी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न की है

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

द्वारा माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को 10/2023 से 08/2024 अर्थात् 10 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरुआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को 10/2023 से 08/2024 अर्थात् 10 विद्युत बिल चक्रों में निर्गत एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरुआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

07/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

07/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

07/03/25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 113/2024

श्री जय सिंह
निवासी– 168 फेज–1, वसंत विहार
चकराता रोड़, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 25.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding wrong electricity bill due to IDF and ignoring meter units.. The Complaint submits and prayer is made below:-

I am writing to bring your attention a recurring issue with the electricity bills being dispatched for my account no 40105219107/ SD26334087008. Despite multiple complaints and a meter replacement on 07-05-2024 (Copy Enclosed) due to irregularities flagged under IDF,the recent bill has again been issued without considering the actual meter readings, which has led to an incorrect

billing amount. Earlier I reported the issue to the department, and my meter was replaced to resolve the IDF status. However, the latest bill continues to be issued based on estimated readings rather than the accurate meter units recorded after the replacement. This oversight has caused undue inconvenience and financial discrepancy.

I Kindly request that your department review my account and issue an amended bill based on the accurate meter readings. Furthermore, I would request you to kindly update the billing procedure to avoid future errors and to ensure that readings are based on actual meter reading and usage.

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1073, दिनांकित 25/11/2024 से मंच को अवगत कराया है कि वादी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.11.2024 में मीटर बदले जाने एवं मीटर बदलने के बाद भी मीटर रीडिंग का बिल न देकर आई0डी0एफ0 का बिल दिये जाने की शिकायत की है। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग प्राप्त कर मीटर बदलने की तिथि से बिल संशोधित कर दिया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु संशोधित बिल की प्रति संलग्न है। उपभोक्ता को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054/वि0वि0उ0खं वंसत विहार दिनांक 20.11.2024 से संशोधित बिल प्रेषित किया गया था, जिसे उपभोक्ता द्वारा लेने से मना कर दिया गया(छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1214, दिनांकित 26/12/2024 से मंच को अवगत कराया गया है कि मीटर बदलने की तिथि 07.05.2024 के उपरान्त उपभोक्ता का बिल संशोधित कर दिया गया है, साथ ही मीटर खराब होने की अवधि के समय के बिलों के आई0डी0एफ0 यूनिट का परीक्षण किया गया तथा बिल संशोधन तैयार किया गया। पिछली सुनवाई में उपभोक्ता द्वारा उपखण्ड कार्यालय में आकर बिल समझने हेतु कहा गया

था, जिसके संबंध में उपभोक्ता उपखण्ड कार्यालय में दि0 24.12.2024 को उपस्थित हुए एवं उन्हें बिल संशोधन गणना समझा दिया गया है, जिसके उपरान्त उक्त बिल संशोधन गणना खण्ड कार्यालय को स्वीकृत हेतु भेजा गया है। आई0डी0एफ0 मीटर बदलने में देरी के सम्बन्ध में आख्या दिये जाने हेतु सहायक अभियन्ता मीटर, विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड, देहरादून को पत्र सं0 1204/वि0वि0उ0ख0 वसंत विहार/मीटर दिनांक 24.12.2024 से अनुरोध किया गया है, जिसका उत्तर सहायक अभियन्ता मीटर से प्रतिक्षित है।

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1339, दिनांकित 16/01/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या 1214/वि0वि0उ0ख0व0वि0/उ0शि0नि0म0, दिनांक 26.12.2024 के तारतम्य में उपभोक्ता के मीटर खराब होने की अवधि के आई0डी0एफ0 यूनिट के अनुसार बिल संशोधन कर दिया गया है जिसकी बिलिंग लेजर की प्रति सूचनार्थ संलग्न है। विलम्ब से मीटर बदले जाने के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता मीटर द्वारा अपने पत्र संख्या 350/वि0परी0शा0(द0) दिनांक 26.12.2024 से अवगत कराया गया है कि "उक्त संयोजन का स्थापित मापक 3 फेज मापक है एवं सितम्बर 2023 व उस अवधि में नये 03 फेज मापक की उपलब्धता नही होने के कारण उक्त खराब मीटर ससमय नही बदला गया व 3 फेज मीटर उपलब्ध होते ही उक्त मापक बदला गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 07/2023 में एन0ए0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, इसके उपरांत 09/2023 से 11/2024 (विद्युत मीटर दस्तावेजों में दर्ज किये जाने तक) अर्थात् 10 विद्युत बिल चक्रों में आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये जिस पर परिवादी को आपत्ति है। परिवादी की शिकायत के अनुसार उनके द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने के संबंध में विद्युत विभाग से

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अनुरोध किया गया, बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा उनका खराब मीटर नही बदला गया जिस कारण उन्हें उपरोक्त अवधि में उन्हें एन०ए०/आई०डी०एफ० के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे की उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि हुई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा खराब मीटर को बदलने में लेट लतीफी बरती गयी है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदली जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुअ मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को 07/2023 से 11/2024 (विद्युत मीटर दस्तावेजों में दर्ज किये जाने तक) अर्थात्

11 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 09 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को 07/2023 से 11/2024 (विद्युत मीटर दस्तावेजों में दर्ज किये जाने तक) अर्थात् 11 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 09 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

25/03/2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 114 / 2024

श्री लुत्फुर रहमान बरभुइया, — परिवादी
निवासी – 05 / 18 तिलक रोड,
राजकीय आवास संख्या 27 / II, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 07.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकि सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन स्थाई विच्छेदन पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा जमा जमानत धनराशि प्रदान न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया के सरकारी आवास संख्या 22 (टाईप 4) जो कि हाथीबड़कला ईस्टेट, देहरादून में स्थित है में रू0 2400.00 एवं सर्विस लाईन चार्ज रू0 1000.00 दिनांक 21.08.2021 को जमा किये गये थें। इसके पश्चात् उनके द्वारा दिनांक 08.05.2024 को उक्त संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर लिया गया था। इसके उपरान्त उनके द्वारा नियामानुसार जमा जमानत धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उत्तर खण्ड, 18 ई0सी0रोड, देहरादून को आवेदन किया बावजूद इसके उन्हें उनकी धनराशि प्राप्त नहीं हुई। परिवादी द्वारा विपक्षी को ई–मेल के माध्यम

से भी संपर्क किया गया परंतु विपक्षी द्वारा ई–मेल का कोई उत्तर परिवादी को नहीं दिया गया। अतः मंच से निवेदन है कि उन्हें उनही धनराशि रू0 2400.00 ब्याज सहित दिलाई जायें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 134 दिनांक 17/01/2025 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री लुत्फुर रहमान बरभुइया, निवासी– सर्वे ऑफ इंडिया, क्वाटर नं0 22, टाईप IV , हाथीबड़कला, देहरादून विद्युत संयोजन सं0/एकाउन्ट नं0 483130821001,को उनके आवेदन के पश्चात् उनकी जमानत धनराशि रू 2351.00 का भुगतान चैक सं0 696120 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि श्री लुत्फुर रहमान बरभुइया, निवासी– सर्वे ऑफ इंडिया, क्वाटर नं0 22, टाईप IV , हाथीबड़कला, देहरादून विद्युत संयोजन सं0/एकाउन्ट नं0 483130821001,को उनके आवेदन के पश्चात् उनकी जमानत धनराशि रू 2351.00 का भुगतान चैक सं0 696120 दिनांक 26.12. 2024 के द्वारा कर दिया गया ।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण जमानत धनराशि भुगतान कर कर दिया गया। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने*

पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

07/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

07/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

07/03/2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रो0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 118 / 2024

श्री विशाल चन्द पुत्र स्व0 धनवीर चन्द
निवासी– 44, डंगवाल मार्ग
देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम

दिनांक: 11.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि पूर्व में उक्त संयोजन जो कि उनकी स्वर्गीय माताजी श्रीमती कलावति चन्द के नाम पर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल व बिल का भुगतान माताजी के स्वर्गास के उपरान्त प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है, में विद्युत लोड सिंगल फेज से 3 फेज (05 किलो वाट) बढ़ानें के लिये आवेदन किया गया था, जिसमें आपके विभाग द्वारा उक्त प्रक्रिया में नई वायरिंग की गई और नया मीटर भी स्थापित किया गया। महोदय उक्त प्रक्रिया के 01 माह पश्चात् उक्त कनेक्शन का रू0 17,000/– रूपये का बिल आया, जो कि प्रार्थी द्वारा उपभोग किये गये विद्युत से अत्याधिक बिल था, जिसमें प्रार्थी चेक मीटर लगानें का आवेदन किया गया, उक्त प्रक्रिया में भी एक माह का समय बीत गया और इस माह का बिल भी रू0 17,000/– का लगभग आया। महोदय कुछ माह पश्चात् विद्युत विभाग का एक कर्मचारी श्री जावेद जी द्वारा चेक मीटर लगाया, जिसमें उन्होनें पाया कि पोल से एक फेस चिपका हुआ था और

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स-0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिजली की लीकेज थी, जिसकी टिप्पणी उनके द्वारा मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र में दी गयी है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। इसके पश्चात् प्रार्थी एस0डी0ओ0 महोदय श्री भानू प्रताप जी से मिलकर उक्त वायरिंग को ठीक कराया, जिसके पश्चात् अगले माह का बिल रू0 1850/– आया। प्रार्थी द्वारा प्रारंभ में किये गये 02 माह 17,000 + 17,000 = 34,000/– रूपये लगभग का बिल लीकेज कारण आया जो कि प्रार्थी द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रारम्भ के 02 माह के बिल का निस्तारण शीघ्र से शीघ्र करने की कृपा करें, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक हानि से बचाया जा सके।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 3047, दिनांकित 29/11/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री विशाल चन्द पुत्र स्व0 धनवीर चन्द, निवासी 44, डंगवाल मार्ग, देहरादून खाता संख्या CD11267006647 का बिल विद्युत परीक्षण खण्ड (नगरीय) उपाकालि0 की सीलिंग रिर्पोट के अनुसार एवं उनके लाईनमैन के प्रमाणित करने के उपरान्त ज्ञात हुआ की पोल में लिकिज होने के कारण उपभोक्ता को माह 05/2024 से 08/2024 तक का बिल अधिक प्राप्त हुआ है, परन्तु उपखण्ड द्वारा इस प्रकार के बिल का संशोधन किया जाना सम्भव नही है न ही अधोहस्ताक्षरी उक्त प्रकार के बीजक के संशोधन के लिए अधिकृत है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिवादी ने अपने विद्युत भार को सिंगल फेज से थ्री फेज में परिवर्तित किये जाने हेतु आवेदन किया था, उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा परिवादी के सिंगल फेज विद्युत मापक को थ्री फेज विद्युत मापक लगाकर परिवर्तित कर दिया गया था। जिसके उपरान्त एक माह का विद्युत बिल रू0 17000.00 परिवादी को प्रेषित किया गया, जिसपर परिवादी द्वारा आपत्ति जतायी गई। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में अवगत कराया गया है, कि खाता संख्या CD11267006647 का बिल विद्युत परीक्षण खण्ड (नगरीय) उपाकालि0 की सीलिंग रिर्पोट के अनुसार एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उनके लाईनमैन के प्रमाणित करने के उपरान्त ज्ञात हुआ की पोल में लिकिज होने के कारण उपभोक्ता को माह 05/2024 से 08/2024 तक का बिल अधिक प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त चर्चा एवं अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा स्वयं सीलिंग प्रमाण पत्र में स्वीकार किया गया है कि परिवादी के थ्री फेज विद्युत मापक की आउटगोईंग केबिल में कट लगने के कारण पोल में लिकिज होने के कारण उपभोक्ता को उनकी वास्तविक विद्युत उपभोग से अधिक यूनिट का बिल प्राप्त हुआ है, ऐसी स्थिति में थ्री फेज मीटर स्थापि किये जाने की तिथि से चैक मीटर फाईनल किये जाने की तिथि 13.11.2024 के विद्युत बिलों निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों को चैक मीटर फाईनल किये जाने के उपरान्त तीन बिल चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि थ्री फेज मीटर स्थापि किये जाने की तिथि से चैक मीटर फाईनल किये जाने की तिथि 13.11.2024 के विद्युत बिलों निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों को चैक मीटर फाईनल किये जाने के उपरान्त तीन बिल चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करे। इस प्रकार संशोधि बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

11/03/2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्ॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 119/2024

श्री शनशाद अली पुत्र स्व0 मोहम्मद हासिम
निवासी– ग्राम– ढकरानी, पो0ओ0 ढकरानी कालोनी
तहसील विकासनगर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 12.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी शनशाद अली पुत्र स्व0 मोहम्मद हासिम, निवासी– ग्राम ढकरानी, पो0ओ0 ढकरानी कॉलोनी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड का निवासी है तथा प्रार्थी के पिता स्व0 मोहम्मद हासिम के नाम ग्राम ढकरानी में बिजली कनेक्शन लगा हुआ है जिसका कनेक्शन सं0 VN23221015043 खाता सं0 40101223312 है तथा प्रार्थी का पिछला बिजली का बिल अधिक आया था तथा प्रार्थी ने बिजली विभाग हरबर्टपुर मे इसकी शिकायत की थी तथा विभाग ने प्रार्थी को चैक मीटर लगवाने के लिये आवेदन किया था जिसका शुल्क मु0

118 रूपये प्रार्थी ने जमा कर दिया था जिसकी रसीद संलग्न है परन्तु बिजली विभाग ने प्रार्थी के घर पर चैक मीटर नही लगाया और प्रार्थी के बिजली के मीटर के स्थान पर नया बिजली का मीटर लगा दिया है और अब प्रार्थी का कम नहीं कर रहे है। प्रार्थी बिजली विभाग में कई बार जा चुका है परन्तु प्रार्थी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तथा प्रार्थी अपने बिजली के बिल को कम करवाना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त बिजली के बिल को कम करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 4907, दिनांकित 04/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री मो0 हासिम, पुत्र श्री सुक्कड ढकरानी, हरबर्टपुर द्वारा अपने संयोजन संख्या VN23221015043 का बीजक अधिक होने की शिकायत मा0 फोरम के समक्ष की गयी।

उक्त संबंध में मा0 फोरम को अवगत कराना है कि मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या– 013 दिनांक 21.08.2024 के अनुसार उपभोक्ता के संयोजन पर पुराने मीटर की टी0पी0 जली होने के कारण चैक मीटर नहीं लगाया गया तथा उपभोक्ता को रीडिंग के आधार पर ही बीजक प्रेषित किये गये हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 09/06/24 से 10/08/2024 अर्थात् 63 दिनों में 1 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 832 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है जो कि 13.20 यूनिट प्रतिदिन

की खपत होती है। विपक्षी उक्त विवादित खपत का कोई भी प्रमाण तथा एम0आर0आई0 आदि प्रस्तुत करने में विपक्षी नाकाम रहा है। 1 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 13.20 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। परंतु एकाएक बिल चक्र 08/2024 में उसे विपक्षी द्वारा 832 यूनिट खपत का बिल भेजा गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उसकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी नहीं रही है।

विपक्षी ने अपनी आख्या में कहा है कि सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या– 013 दिनांक 21.08.2024 के अनुसार उपभोक्ता के संयोजन पर पुराने मीटर की टी0पी0 जली होने के कारण चैक मीटर नही लगाया गया। विपक्षी उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 10/08/2024 में प्रेषित बीजक को निरस्त कर उक्त बीजक कों पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (345+229+193/3=255.66 यूनिट) अर्थात् 256 यूनिट के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एंव न्यायोचित होगा है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 10/08/2024 में प्रेषित बीजक को निरस्त कर उक्त बीजक कों पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (345+229+193/3=255.66 यूनिट) अर्थात् 256 यूनिट के आधार पर संशोधित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि रसीद संख्या 14446200824WS990020 दिनांकित 20/08/2024 के द्वारा परिवादी की ओर से जमा चैक मीटर राशी भी परिवादी के आगामी विद्युत बिल में समायोजित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

12/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

12.03.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 120/2024

श्री अशोक गर्ग
निवासी– 457/6, मोहित विहार
नियर गुरूद्वारा, जी.एम.एस. रोड़,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 24.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding exess amount of billing. The Complainant submits and prayer is made below:-

My complaint for defective meter has been registered on 21/07/2024 (Complaint no 22107240477) but the meter got changed after three months, in the meantime they have generated my bill on the prodata basic by picking the maximum value. So I kindly want to resolve this issue and waive of appropriate amount.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 650, दिनांकित 10/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि मीटर स्कंध आख्या दिनांक 09.10.2024 के उपरांत दिनांक 25.11.2024 को संबंधित विद्युत संयोजन पर रू0 16494 के बीजक को मीटर रीडिंग पर संशोधित रू0 12821 कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि मीटर स्कंध आख्या दिनांक 09.10.2024 उपरान्त दिनांक 25.11.2024 को संबंधित विद्युत संयोजन पर रू 16494.00 के बीजक को मीटर रीडिंग पर संशोधित रू0 12821.00 कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

24.03.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 121/2024

श्री सत्यजीत कुमार
निवासी– हरभजवाला, मेहुवाला माफी
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांकः 24.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी श्री सत्यजीत कुमार के निवासी हरभजवाला, मेहुवाला माफी, देहरादून पर विद्युत कनैक्शन संख्या MP21428997741 स्थापित है। जिसका विद्युत भार 01 किलोवाट है। प्रार्थी के उक्त कनैक्शन का बिल कई माह से अत्याधिक आ रहा है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुये चैक मीटर लगाने हेतु दिनांक 28.10.2024 को शुल्क भी जमा किया जा चुका हैं। लेकिन वर्तमान तिथि तक उपखण्ड कार्यालय द्वारा प्रार्थी के परिसर पर न तो चैक मीटर स्थापित किया गया गया और न ही प्रार्थी के विद्युत बिल की

समस्या का निवारण किया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी की उपरोक्त समस्या का निवारण करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 874, दिनांकित 24/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री सत्यजीत कुमार, निवासी– हरभजवाला द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में बिन्दुवार अवगत कराना है–:

बिन्दु संख्या 1– उपभोक्ता का विद्युत बिल उपभोक्ता द्वारा की गई वास्तविक खपत MU के अनुसार ही निर्गत किये जा रहे हैं।

बिन्दु संख्या 2– उपभोक्ता द्वारा ऑनलाईन माध्यम से चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसके सापेक्ष कार्यवाही करते हुये दिनांक 04.12.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया, एवं दिनांक 21.12.2024 को चैक मीटर फाईनल रिर्पोट के अनुसार चैक मीटर व मेन मीटर दोनों ही एकसमान रीडिंग पर चलते पाये गये। अर्थात् अन्तर शून्य पाया गया जोकि मानकों के अनुरूप है (पुष्टि हेतु सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)। अतः उपभोक्ता के विद्युत बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन अवशेष नहीं है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की मूल शिकायत है कि उनका विद्युत बिल कई माह से उनकी वास्तविक खपत से कई गुना अधिक आ रहा है, जिसके क्रम में उनके द्वारा मीटर हेतु आवेदन किया गया, परन्तु विद्युत विभाग द्वारा उनके परिसर पर चैक मीटर स्थापित नहीं किया गया न ही विद्युत बिल को संशोधित किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत की शिकायत के क्रम में अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया, एवं दिनांक 21.12.2024 को चेक मीटर की

फाईनल रिपोर्ट के अनुसार चेक मीटर व मेन मीटर दोनों ही एकसमान रीडिंग पर चलते पाये गयें। अर्थात् अन्तर शून्य पाया गया जोकि मानकों के अनुरूप है।

पत्रावली में उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्रों में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियामानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नही करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/03/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

24/03/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

24.03.20 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 122 / 2024

श्री नीरज शर्मा, प्रबंधक
डी0टी0सी0 इंडिया लिमिटेड, आरकेडिया ग्रांट
निवासी– खाता सं0 139, हरबंसवाला
पो0ओ0 मेहूवाला, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 11.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि हमारी कंपनी के नाम से एक विद्युत संयोजन खाता संख्या 42200624445 139, हरबंसवाला में दिनांक 20.07.2022 से स्थापित है। ऊर्जा निगम द्वारा माह 11 / 2024 में जो हमारा बिल निर्गत किया गया वह बहुत अत्याधिक कुल रु0 78541.00 का दिया गया जबकि स्थल पर कोई भी निवास नही कर रहा है। यह संयोजन कंपनी द्वारा चौकीदार के आवासीय प्रयोग हेतु लिया गया था और यह संयोजन कभी भी प्रयोग में नही लाया जा सका है। विभागीय कार्यालय में अधिक बिल आने की शिकायत करने के बाद भी

किसी प्रकार का कोई बिल संशोधन नहीं किया गया। अतः निवेदन है की कृप्या उक्त विद्युत संयोजन बिल की जांच कराकर ऊर्जा निगम को सही बिल देने हेतु निर्णय पारित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 835, दिनांकित 11/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री नीरज शर्मा प्रबंधक, डी0टी0सी0 इंडिया लिमिटेड संयोजन संख्या MP12114536738, निवासी– हरबस वाला आरकेडिया ग्रांट द्वारा योजित वाद संख्या 122/2024 के संबंध में बिंदुवार अवगत कराना है–

बिन्दु संख्या 1– उपभोक्ता के विद्युत बिल उपभोक्ता द्वारा की गई वास्तविक खपत के अनुसार ही निर्गत किया जा रहे हैं पुष्टि हेतु रीडिंग सहित मीटर का छायाचित्र संलग्न।

बिन्दु संख्या 2– उपभोक्ता के विद्युत बिल की जांच करने हेतु उपभोक्ता के परिसर पर जाकर मीटर की जांच करने पर पाया गया की मीटर खराब है अर्थात मीटर में रीडिंग प्रदर्शित नहीं हो रही है।

बिन्दु संख्या 3– उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 करने का भी प्रयास किया गया परंतु मीटर में डिस्पले प्रदर्शित न होने के कारण एम0आर0आई0 नहीं हो पाई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 12/2022 से 07/2024 अर्थात् 09 विद्युत बिल चक्रों में एन0आर0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये इसके पश्चात् 09/2024 में एम0यू0 के आधार पर बिल जारी किया एवं पुन 11/2024 एवं 12/2024 में क्रमशः एन0आर0/आई0डी0एफ0 कुल 12 बिल चक्रो में औसत के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है। परिवादी की शिकायत के अनुसार

उनके द्वारा विपक्षी को विद्युत बिल वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा उनके विद्युत बिलों को उनकी वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर संशोधित नहीं किया गया जिस कारण उपरोक्त अवधि में उन्हें एन0आर0/आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे की उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि हुई है।

विपक्षी द्वारा मंच में प्रस्तुत आख्या का मंच द्वारा अवलोकन करने पर मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा अपने प्रथम बिंदु में विद्युत मापक की पुष्टि रीडिंग सहित छायाचित्र संलग्न की गई है वही दूसरे बिंदु में उल्लेख किया गया है किउपभोक्ता के विद्युत बिल की जांच करने हेतु उपभोक्ता के परिसर पर जाकर मीटर की जांच करने पर पाया गया की मीटर खराब है अर्थात मीटर में रीडिंग प्रदर्शित नहीं हो रही है, एवं तीसरे बिंदु में उल्लेख किया गया है कि उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 करने का भी प्रयास किया गया परंतु मीटर में डिस्पले प्रदर्शित न होने के कारण एम0आर0आई0 नहीं हो पाई।

विपक्षी के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापि विद्युत मापक खराब था विपक्षी द्वारा खराब मीटर को बदलने में लेट लतीफी बरती गयी है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुअ

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंधन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 03.01.2023 से 09.12.2024 अर्थात् 12 विद्युत बिल चकों में प्राप्त एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों मे से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 10 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित दिनांकित 03.01.2023 से 09.12.2024 अर्थात् अर्थात् 12 विद्युत बिल चकों में प्रेषित एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित

करें तथा शेष सभी 10 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

11-03-25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum
arhwal Zone)
C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
ehradun -248001
none 0135- 2769745, 2769755, 2761956
ffice : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 125/2024

श्री सुबोध जायसवाल पुत्र स्व0 राम कुमार जायसवाल — परिवादी
निवासी– डाक्टरगंज मैन रोड, विकासनगर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 20.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा उनके मीटर धीमा चलने पर विभाग द्वारा किये गये निर्धारण के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी के विद्युत संयोजन संख्या VN13112400519, Load-4 KW पर स्थापित मीटर संख्या GU442589 की विजिलेंस द्वारा जांच कर सील कर दिया गया था, जिसकी जांच दिनांक 04.10.2024 को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण शाला (नगरीय), देहरादून में प्रार्थी की उपस्थिति में की गयी, जिसमें प्रार्थी के मीटर को 97.08 प्रतिशत धीमा चल रहा है, पाया गया, जबकि प्रार्थी द्वारा 04 कि0वा0 के बीजक पर लगभग 5000.00 से 6000.00 का भुगतान किया जाता रहा है। प्रार्थी के परिसर पर 04 कि0वा0 का सौर ऊर्जा प्लांट भी स्थापित किया

lectricity Consumer Grievance Redressal Forum
Garhwal Zone)
.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
ehradun -248001
hone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
ffice : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

गया है। विभाग द्वारा प्रार्थी के धीमे मीटर का निर्धारण कुल रूपये 784440.00 का बनाया गया है, जो कि बहुत अत्याधिक है एवं प्रार्थी द्वारा जिसका भुगतान कर पाना संभव नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा बनाया गया निर्धारण को निरस्त करवाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (रा0) ने आख्या पत्रांक 4991, दिनांकित 10/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री सुबोध जयसवाल पुत्र स्व0 श्री राम कुमार जयसवाल, निवासी–डॉक्टरगंज मैन रोड,विकासनगर, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है–

1. परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10 Other Domestic Load upto 04 KW में 27 फरवरी 2011 को निर्गत किया गया है। जिसकी संयोजन सं0 VN13112400519 है।
2. परिवादी की शिकायत के आधार पर समस्त आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि परिवादी का विद्युत मीटर दिनांक 01.10.2024 को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के विजिलेंस दल (चैकिंग सं0 40059 दि0 01.10.2024) द्वारा सदेंहस्पद पाए जाने के कारण सील बन्द किया गया।
3. विद्युत परीक्षणशाला(नगरीय), देहरादून में परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 04.10.2024 को मीटर की जांच की गई। जांच रिर्पोट के अनुसार मीटर 97.08 % धीमा पाया गया, जिसका कुल निर्धारण रू0 7,84,4440.00 किया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 20/09/2023 से 01/10/2024 अर्थात् 378 दिनों में 4 किलोवाट के स्वीकृत भार पर कुल 109007 यूनिट निर्धारण के रूप मे की खपत दर्शायी गयी है।

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum
arhwal Zone)
C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
hradun -248001
one 0135- 2769745, 2769755, 2761956
fice : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 378 दिन में 288.37 यूनिट प्रतिदिन की विद्युत खपत की गई है। विपक्षी उक्त खपत का कोई तकनीकि प्रमाण जैसे कि एम0आर0आई0 रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। 4 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 288.37 यूनिट प्रतिदिन की विद्युत खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ संलग्न मीटर चेकिंग रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा मीटर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मीटर टेस्ट बेंच पर विद्युत मापक का 97.08% धीमा पाया जाना यह दर्शाता है कि विद्युत मीटर को टैस्ट बैंच पर चैक किये जाने से पूर्व ही किसी प्रकार की तकनीकि खराबी उत्पन्न हुई है।

मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 12.12.2024 को विपक्षी को उपरोक्त विवादित विद्युत मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 5143 दिनांकित 23.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट सम्भव नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है 4 किलोवाट स्वीकृत भार पर 288.37 यूनिट प्रतिदिन की खपत बिना किसी ठोस तकनीकि आधार पर सम्भव नहीं है। मंच द्वारा परिवादी के विद्युत मापक बदले जाने के उपरान्त के विद्युत उपभोग का भी संज्ञान लिया गया जिससे स्पष्ट है कि विद्युत मीटर बदले जाने से पूर्व एवं विद्युत मापक बदले जाने के उपरान्त परिवादी की विद्युत उपभोग में किसी भी प्रकार का असामान्य अंतर दर्ज नही किया गया है. ऐसी दशा में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 04.10.2024 मीटर जॉच किये जाने के क्रम में

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum
Garhwal Zone)
.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
ehradun -248001
hone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
ffice : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत मीटर 97.08 प्रतिशत धीमा चलने के सापेक्ष प्रेषित निर्धारण निरस्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 04.10.2024 मीटर जॉच किये जाने के क्रम में विद्युत मीटर 97.08 प्रतिशत धीमा चलने के सापेक्ष प्रेषित निर्धारण निरस्त करें। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/03/2025	20/03/25	20.03.2025
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun – 248001
Phone 0135 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 126 / 2024

श्री राहुल हरित
निवासी– नानक विहार, निकट काली मंदिर
देहराखास, देहरादून। 　　　　परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। 　　　　विपक्षी

कोरम 　　　　दिनांक: 18.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह 　　　　न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर 　　　　तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण 　　　　उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके घरेलू विद्युत उपकरणों की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन बिन्दुवार निम्नानुसार है–

1. सदर्भ (i) व (ii) के अंतर्गत मंगलवार 26.11.20204 को Fault Inlt Distribution के तहत प्रार्थी एवं आस–पास के निवासियों के घरों में समय 1 से 4 मध्याहन में मेन मीटर में रीडिंग आ रही थी परन्तु घरों में बिजली कभी आ रही थी, वोल्टेज की समस्या भी पायी गयी। घरेलू उपकरण जो चल रहे थे, में स्पार्किंग हुई और डेड हो गये। मीटर में रीडिंग आने पर भी घरों में लाइट का यह रूपान्तरण संशय से भरा हुआ था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रार्थी आर्थिक एवं मानसिक कष्ट से प्रभावित है।

2. क्रम संख्या (2) के अंतर्गत प्रार्थी की रसोई का RO Aquaguard Astor, किचन चिमनी एवं लैपटॉप का Adapter डेड हो गये है। क्षपिपूर्ति अत्यंत आवश्यक है।

3. सदंर्भ (iii) के अन्तर्गत अग्निशमन वाहन द्वारा पोल से दो घंटे से लगी (दिवाली सदृश) आग बुझाई गयी थी। आग बहुत भयावह थी, पोल पर कई सारे वाई फाई सेवा प्रदाताओं के तार उलझे हुए थे। पोल पर बहुत सी कनेक्शनों का बोझ है। नानक विहार प्रवेश में कई तार लटके हुए हैं। पोल के सामने दूसरे पोल (दुकानों के समीप) लगाये जाने की परम आवश्यकता है। नागरिकों की सुरक्षा, जान माल के नुकसान को यू0पी0सी0एल0 द्वारा नजर अंदाज किया गया है।

महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आर्थिक क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें. संबंधित घरेलू उपकरणों की मरम्मत ठीक कराने के बाद आपको बिल क्षतिपूर्ति के लिये उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 905, दिनांकित 15/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि उक्त शिकायत के पश्चात श्रेत्रीय अवर अभियन्ता को साईट निरीक्षण एवं जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जांच का अवलोकन करते हुए पाया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर क्षति हुई है, वह उनके परिसर की खराब वायरिंग के कारण प्रतीत हो रहा है। साथ ही जांच के दौरान शिकायतकर्ता के मकान की अर्थिंग वायर भी उपलब्ध नहीं पायी गयी है।

महोदय अवगत कराना है कि यदि विभाग की ओर से लाईन/परिवर्तक पर कोई भी खराबी आती तो उससे जुडे अन्य उपभोक्ता भी प्रभावित हुए होते, जिसकी पूछताछ भी अवर अभियन्ता द्वारा अगल–बगल के पडोसियों से की है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परन्तु इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः वाद के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता की जांच आख्या संलग्न कर आपको सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनकी मूल शिकायत दिनांक 26.11.2024 को वोल्टेज के उतार/चढ़ाव के क्रम में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने में उक्त वाद योजित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी उपरोक्त विस्तृत आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया। विपक्षी की आख्या है कि उक्त क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं के परिसरों की भी अवर अभियन्ता द्वारा जांच की गई, जहां उपभोक्ताओं द्वार बताया गया कि उक्त दिनांक को विद्युत संबंधी कोई भी समस्या उनके परिसर पर नहीं हुई है एवं न ही उनका कोई भी उपकरण खराब बताया गया है और न ही उनके द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। उपभोक्ता श्री राहुल हरित के परिसर पर हुई विद्युत उपकरणों की हानि हेतु उनकी खराब वायरिंग एवं उनके परिसर की अर्थिंग न होने के कारण होना प्रतीत हो रही है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, Standard of Performance Regulations, ,2022** के विनियम **10 (1)** का संज्ञान लिया गया इस विनियम के अनुसार **"The Standards of Performance Specified in these Regulations shall remain suspended during Force-Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion,riot,flood,cyclone, avalanches,lightning,earthquake,pandemic,lockout,fire**

affectiong the Licensee's installations". उपरोक्त विनियम से स्पष्ट है कि घटना **Force-Majeure Condition** की श्रेणी में आती है तथा विपक्षी द्वारा किसी कार्य निष्पादन के मानक का उल्लंघन नही किया गया है इसके अतिरिक्त **UERC (Standard of Performance) Regulations, 2022 Schedule III (Guaranted Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default)** के क्लाज 5 **Damage to consumer's apparatus due to voltage fluctuations [If apparatus of more than one consumer in close neighbourhood are affected and subject to physical verification of the damaged apparatus by the Licensee within 72 hours followed by submission of documentary evidence by affected consumer with regard to expenses incurred on repair charges and its verification by the Licensee] In case of replacement or exchange of any damaged apparatus/ equipment with new one the compensation shall be limited to the extend of repair charges mentioned in this clause subject to the production of original bill and its verification by the Licensee** से स्पष्ट है कि एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा हाई वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण जलने की स्थिति में ही क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। उक्त के संबंध में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में किसी अन्य उपभोक्ता के मीटर अथवा घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई, सम्भवता परिवादी के घर की अर्थिंग न होने अथवा सही न होने के कारण घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त हुए होगें। अतः उपरोक्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

चर्चा के उपरांत मंच इस मत का है कि उक्त घटना **Force-Majeure Condition** की श्रेणी में आती है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित नही होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थिति उपरांत प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/03/2025 18/03/25 18.03.25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 127 / 2024

श्री अब्बल सिंह नेगी
निवासी– ग्राम– जौलीग्राण्ट, बिचली जौली
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 28.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके सम्पत्ति पर अवैधानिक रूप से लगे विद्युत संयोजन को विच्छेदित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी की ग्राम जौलीग्राण्ट में कृषि भूमि व आवासीय भूमि जिस पर एक कच्चा टिन शेड दो मंजिला मकान सम्पत्ति है, जिस पर प्रार्थी की माता स्व0 श्रीमती विशनदेई पत्नी स्व0 जी0एस0 नेगी के नाम एक विद्युत संयोजन संख्या DW4211011348 खाता सं0 40100984263 वर्ष 1987 से चला आ रहा है व लगातार आज तक विद्युत कर जमा किया जाता रहा है।

यह कि जौलीग्राण्ट स्थित उक्त आवासीय भूमि में उक्त कच्चे दो मंजिला मकान के अतिरिक्त कोई मकान नहीं है। उक्त मकान में प्रार्थी व उसके किरायेदार अबुल हसन व उसके चेले के अतिरिक्त कोई और नही रहता था न है। यह कि प्रार्थी की उक्त संपत्ति पर पिछले कुछ समय से विरोधी श्रीमती सरला पत्नी स्व0 अरूण कुमार व उसके पुत्रगण अपने साथ कुछ लोगों को हरिद्वार व यू0पी0 से लाकर जबरन घुसकर अवैधानिक कब्जा करने का प्रयास करते आ रहे है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी की माता श्रीमती विशनदेई द्वारा श्रीमती सरला के पति अरूण कुमार व उसके पिता स्व0 ज्वाला सिंह से एक पंजीकृत बैनामा 1985 द्वारा निश्चित सीमाओं के अर्न्तगत क्रय की गयी थी, तब से उक्त सम्पत्ति पर लगातार काश्तकर काबिज चले आ रहे है। यह कि उक्त विरोधी पक्ष द्वारा नियत खराब हो जाने के कारण षडयंत्र व साजिश के तहत एक झूठा वाद सं0 89/09 ज्वाला सिंह बनाम विशनदेई योजित किया गया था, जो के निम्न न्यायलय से उच्च न्यायलय तक प्रार्थी की माता के पक्ष में निर्णित होकर खारिज हो गया है। विरोधी पक्ष श्रीमती सरला आदि का प्रार्थी की उक्त मकान संपत्ति पर कोई अधिकार व स्वत्व तथा कब्जा आदि नही है। उक्त विरोधी लोग उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में किये गये सभी वाद हार चुके है। जिस कारण से लोग रंजिश रखते है और जबरन अवैधानिक रूप से सम्पत्ति पर घुस कर कब्जा करना चाहते है। यह कि विरोधी पक्ष प्रार्थी की उक्त सम्पत्ति पर कब्जा दिखाने के लिए ही एक विद्युत कनेक्शन सम्पत्ति पर लगाने के लिए दिनांक 07.11.2024 के एक प्रार्थना पत्र ,झूठे दस्तावेज व झूठे शपथपत्र के आधार पर दिया है जिस पर विद्युत विभाग उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड डोईवाला, दे0दून द्वारा एक विद्युत संयोजन संख्या 295838 जारी कर दिनांक 15–16 नवम्बर को जारी किया है। यह कि विरोधी श्रीमती सरला देवी व उसके पॉच पुत्रों तथा साथियों ने दिनांक 05.11.2024 को प्रार्थी के किरायेदार अबुल हसन व उसके चेले को प्रार्थी का मकान खाली करने के लिए जान से मारने व गोली बारी में मारे जाने की धमकी देकर कमरा खाली करा दिया, जबरन घुसकर लड़ाई–झगड़ा कर उत्पात

मचाते रहे और प्रार्थी के मकान को भी भारी क्षति पहुंचाते हुए बिजली के तारों को काट दिया तथा प्रार्थी की माता श्रीमती विशनदेई के नाम से लगे विद्युत संयोजन सं0 DW4211011348 को उखाड कर ले गये और मकान से घरेलू सामान आदि चोरी किया गया, जिसकी पुलिस रिर्पोट की गयी, विरोधी लोग वहॉ से भाग गये। उक्त घटना की एफ0आई0आर0 पुलिस थाना डोईवाला में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति पर आज भी प्रार्थी काश्त एंव काबिज है। विरोधी लोग ग्राम रायसर, जिला– हरिद्वार रहते है। उक्त लोगो द्वारा ही ग्राम जौलीग्रांट में प्रार्थी की भूमि पर दिनांक 20.11.2024 को गोली चलाई थी ताकि प्रार्थी सम्पत्ति पर ना आ सके। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम जौलीग्रांट देहरादून स्थित मकान सम्पत्ति पर अवैध रूप व गलत व फर्जी दस्तावेज के आधार पर श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 अरूण कुमार के नाम जारी विद्युत सं0 295838 को अविलम्ब हटाया जाये तथा जांच की जाये की उक्त विद्युत कनेक्शन फर्जी दस्तावेज व झूठे शपथपत्र के आधार पर प्रार्थी की संपत्ति पर पुराने स्थापित विद्युत कनेक्शन लगे होने के बावजूद कैसे, किसके द्वारा लगाया गया।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 550, दिनांकित 11/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री अब्बल सिंह नेगी पुत्र स्व0 जी0एस0 नेगी, निवासी–79 नाला पानी रोड, पो0ऑ– रिस्पना, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है:–

1. उपभोक्ता श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 श्री अरूण कुमार, निवासी– ग्राम हबीबपुर कूडी रायसी जिला– हरिद्वार हाल निवास वार्ड नं0 5 बिजली जौली, जौलीग्रांट द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 07.11.2024 को वि0वि0उ0ख0 जौलीग्रान्ट में आवेदन फार्म, शपथ पत्र उपहार स्वरूप भूमि दस्तावेज संलग्न कर नये विद्युत संयोजन हेतू आवेदन किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)
2. अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 16.11.2024 में स्थलीय निरीक्षण कर आख्या सब–डिवीजन को प्रेषित की गई।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्॰वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. उपभोक्ता द्वारा उक्त दिनांक को वांछित धनराशि जमा करने के उपरांत विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत उनकी उपरोक्त सम्पत्ति पर स्थापित विद्युत संयोजन जो कि श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 श्री अरूण कुमार को जारी है को उनकी सम्पत्ति से हटाये जाने के संबंध में है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 श्री अरूण कुमार, निवासी– ग्राम हबीबपुर कूड़ी रायसी जिला– हरिद्वार हाल निवास वार्ड नं0 5 बिजली जौली, जौलीग्रांट द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 07.11.2024 को वि0वि0उ0ख0 जौलीग्रान्ट में आवेदन फार्म, शपथ पत्र उपहार स्वरूप भूमि दस्तावेज संलग्न कर नये विद्युत संयोजन हेतू आवेदन किया गया था। अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 16.11.2024 को स्थलीय निरीक्षण कर आख्या सब–डिवीजन को प्रेषित की गई। उपभोक्ता द्वारा उक्त दिनांक को वांछित धनराशि जमा करने के उपरांत विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा श्रीमती सरला देवी, पत्नी स्व0 अरूण कुमार, निवासी– ग्राम –हबीबपुर, कुड़ी, पो0आ0 रायसी, तहसील–लक्सर, हरिद्वार को तृतीय पक्ष के रूप में उनका पक्ष जानने हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से, दिनांक 17.12.2024 को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद न तो श्रीमती सरला देवी, मंच के सम्मुख अपने पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुई न ही उनके ओर से उनका कोई प्रतिनिधी मंच में उपस्थित हुआ, जिससे यह स्पष्ट है कि उन्हें उक्त विवादित विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी की उपरोक्त सम्पत्ति से श्रीमती सरला देवी, पत्नी स्व0 अरूण कुमार, के नाम से निर्गत विद्युत संयोजन का स्थाई विच्छेदित करें क्योंकि उक्त परिसर पर परिवादी की माता स्व0 श्रीमती बिशनदेई पत्नी स्व0 जी0एस0 नेगी के नाम एक विद्युत संयोजन संख्या DW4211011348 खाता सं0

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

40100984263 वर्ष 1987 से चला आ रहा है, जिसके विद्युत बिलों का परिवादी द्वारा भुगतान भी किया जा रहा है, ऐसी दशा में एक परिसर पर एक से अधिक विद्युत संयोजन अवमुक्त किया जाना तर्कसंगत एंव न्यायोचित नहीं है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की उपरोक्त सम्पत्ति से श्रीमती सरला देवी, पत्नी स्व0 अरूण कुमार, के नाम से निर्गत विद्युत संयोजन को स्थाई विच्छेदित करें एवं परिवादी की माता स्व0 श्रीमती विशनदेई पत्नी स्व0 जी0एस0 नेगी के नाम एक विद्युत संयोजन संख्या DW4211011348 खाता सं0 40100984263 जो कि वर्ष 1987 से चला आ रहा है को नियामानुसार सुचारू रखे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। विपक्षी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/03/2021

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/03/21
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

28.03.21
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 128 / 2024

श्रीमती मुकेशी देवी — परिवादी
निवासी– अम्बेडकर कालोनी, तरला, आमवाला
रायपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 24.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उनका विद्युत बिल बढ़कर आ रहा है, इस बार विद्युत बिल रू0 56000/– आया है प्रार्थीनी की आर्थिक स्थिति ठीक नही है जिस कारण इस बिल का भुगतान नही कर पा रही है। आपसे निवदेन है वि इस बिल की राशि को कम करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1116, दिनांकित 13/12/2024 से मंच क अवगत कराया है कि श्रीमती मुकेशी देवी, निवासी अम्बेडकर कालोनी, तरला, आमवाला, रायपुर, देहरादून के सम्बन्ध में निम्नलिखित आख्या बिन्दुवार है–:

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135-2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-27673
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

1. विद्युत संयोजन संख्या 9721321415214 विद्युत भार 01 किलोवाट घरेलू विधा में श्रीमती मुकेशी देवी पत्नी श्री राजकुमार, आमवाला तरला, देहरादून के नाम पर विभागीय अभिलेखों में दर्ज है (हिस्ट्री संलग्न)।
2. उक्त विद्युत संयोजन दिनांक 24.12.2010 में अवमुक्त किया गया था।
3. उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह दिनांक 30.01.2020 तक मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये हैं (प्रति संलग्न)।
4. माह 02/2020 के उपरान्त मीटर रीडिंग का कार्य टी0डी0एस0 कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा प्रारम्भ करने के कारण उपभोक्ता की बिलिंग नहीं हो पाई। अतः उपरोक्त बिल नही बन सके।
5. दिनांक 23.11.2022 को उपभोक्ता के परिसर पर पुराने मीटर को सहायक अभियन्ता(मीटर), विद्युत परीक्षण शाला, आराघर, देहरादून के कार्यालय द्वारा बदलकर नया मीटर स्थापित किया गया है। माह 09/2024 में उपभोक्ता के नये मीटर रीडिंग के अनुसार तथा उपभोक्ता द्वारा जो धनराशि NR के रूप में Provisional bill में जमा कराई गई थी, उसे समायोजित करते हुए बिल प्रेषित किया गया (प्रति संलग्न)। जिसके सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा दिनांक 30.09.2024 को रू0 10000/– आंशिक भुगतान के रूप में जमा किये गये हैं।
6. माह 10/2024 व 11/2024 में उपभोक्ता को MU के आधार पर बिल प्रेषित किये गये हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की दिनांक 26/03/2020 से 12/09/2024 अर्थात् लगभग 4 साल 6 महीनें तक परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रेषित न कर औसत के आधार पर बिल प्रेषित किये गये है, जो की माननीय् विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का उल्घन है, जिसें मंच द्वारा स्वीकार नही किया जा सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक 03/2020 से 03/2022 में केवल 04 विद्युत बिल एन0आर0 के आधार प्रेषित किये गये इसके पश्चात् में मीटर बदले जाने के उपरान्त लगभग दो वर्ष उपरान्त परिवादी को बिल चक्र 09/2024 में 11637 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर बदले जाने तक औसत (एन0आर/आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियन **5.1.3** के तहत खराब विद्युंत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.G.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 26.03.2020 से 12.09.2024 अर्थात् 05 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन०ए०/आई०डी०एफ० बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 03 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित दिनांकित 26.03.2020 से 12.09.2024 अर्थात् 05 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन०ए०/आई०डी०एफ० बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 03 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। इस प्रकार संशोधित विद्युत बिलों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

24-03-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun – 248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 129 / 2024

श्री शुभम गौड़
निवासी– वार्ड–4, मण्डी चौक
भीमावाला रोड, विकासनगर
देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 26.03.2025

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा विद्युत कनैक्शन शुभम गौड वार्ड 4, मण्डी चौक, भीमावाला विकासनगर में मीटर संख्या 25452 खराब हो गया था। दिनांक 23.08.2024 अगस्त को मीटर जलने के बाद तुरंत शिकायत कर दी गयी थी लेकिन मीटर 02 माह बाद बदला गया, लेकिन बिल पीछले 02 माह के हिसाब से दिया जा रहा है जो कि बहुत अधिक है। इस समय बर्फ का काम बंद हो जाता है लेकिन बिल आई0डी0एफ0 के हिसाब से ही भेजा गया है जबकी हर माह में हमारा बिल बहुत कम मात्रा में आता था। यदि आप चाहें तो पिछले वर्ष के महीनों का विद्युत बिल भी देख सकते है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत विभाग विकासनगर द्वारा भी हमारा बिल कम नहीं किया जा रहा है जबकि पूर्व में कई बार अवगत करा चुका हूँ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस बिल को सही कराने की कृपा करें ताकि इस बिल को जमा किया जा सके।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 5142, दिनांकित 23/02/2024 से मंच को अवगत कराया है कि :

1. उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या UTP 31268 खराब होने के कारण दिनांक 30.09.2024 को बदला गया।
2. मीटर खराब होने पर उपभोक्ता का दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 29.09.2024 तक का बीजक सिस्टम द्वारा पूर्व के तीन माहों के औसत यूनिट के आधार पर निर्गत किया गया है, जो कि सही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार दिनांक 23.08.2024 को उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मापक खराब हो जाने के कारण उनके द्वारा उक्त के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा उनके खराब विद्युत मापक को दिनांक 30.09.2024 को शिकायत दर्ज कराये जाने 39 दिनों बाद बदला गया जिस कारण उन्हें उक्त अवधि में वास्तविक उपभोग के विद्युत बिल प्रेषित न कर आई0डी0एफ0 के आधार पर प्रेषित किये गये है, जिससे की परिवादी को आर्थिक हानि हुई है क्योंकि उक्त विद्युत संयोजन बर्फ फैक्ट्री का है, और अगस्त माह में बर्फ की मॉग न मात्र की ही होती है परन्तु विद्युत विभाग द्वारा आई0डी0एफ0 के आधार पर प्रेषित बिल में 07/2024, 06/2024 एवं 05/2024

का औसत लिया गया जो की बर्फ फैक्ट्री के संयोजन के लिहाय से पीक टाईम होता है, जिस कारण 08/2024 के विद्युत बिल को उक्त माहों के औसत पर प्रेषित किया जाना उचित नही है।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या UTP 31268 खराब होने के कारण दिनांक 30.09.2024 को बदला गया। मीटर खराब होने पर उपभोक्ता का दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 29.09.2024 तक का बीजक सिस्टम द्वारा पूर्व के तीन माहों के औसत यूनिट के आधार पर निर्गत किया गया है, जो कि सही है।

परिवादी की शिकायत के अनुसार उनके द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने के संबंध में विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया, बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा उनका खराब मीटर नही बदला गया जिस कारण उपरोक्त अवधि में उन्हें आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे की उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि हुई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा खराब मीटर को बदलने में लेट लतीफी बरती गयी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है।

उक्त वाद के संदर्भ में मंच के संज्ञान में आया है कि यह विद्युत संयोजन बर्फ फैक्ट्री का है जो कि एक Seasonal Industry के तौर पर उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में मंच का मानना है कि Seasonal Industry

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

की विद्युत खपत season पर आधारित हाती है इसलिए Seasonal Industry के IDF बिल संशोधन, मीटर के IDF पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर किया जाना उचित नहीं होगा। इस Industry के IDF bill पूर्व साल के corresponding महीने की खपत के अनुसार ही संशोधित किया जना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को 10/2024 एवं 08/2024 में प्रेषित विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों को पूर्व वर्ष के समान माह 10/2023 एवं 08/2023 की खपत के आधार पर संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/03/2025	26/03/25	26.03.2025
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 130 / 2024

मै0 इनडस् टावर
निवासी–' देहराखास दून
सदर दून, खसरा नं0 642,
लोकेशन होटल एन. लेगेसी, देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम
दिनांक: 24.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

1. That we have permanent electric connection having account number 41901216159, 10KW connected load in the name of Indus Towers limited at location Hotel N Legacy under Dehradun South divison.

2. That on 29-11-2024 our premise was visited by the respective person of licensee and disconnected the power supply without any further intimation. We have visited the office of the Exevutive Engineer and after so many pursuance he has served a bill of amount Rs 93113/- in which period was mentioned from 16-11-2019 to 19-09-2020, intial reading was shown 0 and final reading was shown 13682 but this bill was never served to us earlier.
3. That one more bill was served to us on 04-12-2024 in which intial reading date mentioned 19-09-2020, current reading date is 02-12-2024. Initial reading is shown as 13682 and final reading is shown as 101075 and total bill amount claimed Rs 879575/- Serving of bill after 4 year is no justified.
4. That we have requested to the concern Executive Engineer to provide the details of this claimed amount because so amendment done in the tariff during the period and also requested to him to reconnect the supply as unlawful disconnection done by the licensee, but no response received.

5. That we had never received the intimation of dues, we were regular paying energy bill of that account which mapping was done in our system, no prior intimation was given by the licensee, suddenly raised the bill for a long time after 4 years & disconnected of supply unlawfully is not justified.
6. It is further admitted that the licensee is claiming after a period of 2 years which is not recoverable.

Therefore, we requested you to kindly register our grievance before your kind level forum and instruct to the concern to reconnect of the supply urgent basis and schedule the hearing as early possible to provide us justice. As we suffering huge financial loss due to sudden disconnection of supply, hence the loss occurring to us, need to recover from the licensee and necessary compensation need to give as per SOP.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 659, दिनांकित 13/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपरोक्त विषयक वाद सं0 130/2024 के कम में बिंदुवार आख्या निम्नलिखित है–:

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. उपखण्ड निरंजनपुर के अंतर्गत उपभोक्ता के पते में उल्लेखित Hotel N Legacy नामक कोई संपत्ति विद्यमान नहीं है। गत समय से उपरोक्त संयोजन को Trace किये जाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे थे, परन्तु बीजक में पता देहराखास दून सदर उल्लेखित होने एवं संयोजन पर प्रदत्त दूरभाष पर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण संयोजन को Trace कर बिल बनाना संभव नही रहा है।

2. पुरानी अवधि (दिनांक 19.09.2020 तक का बीजक दूरभाष/ई0मेल पर निरंतर भेजे जाने के बावजूद भी 04 वर्षों से भुगतान हेतु लम्बित पाया गया, जो लगातार उपभोक्ता के ऑनलाईन बिल में एरियर स्वरूप प्रदर्शित था एवं ऑनलाईन मॉड्यूल पर भी सदैव Accessible था। फलस्वरूप विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अंतर्गत उपभोक्ता संयोजन परिसर में उपलब्ध उपभोक्ता प्रतिनिधि श्री विजय घिल्डियाल को सूचित कर उसकी अनुमति उपरांत विच्छेदन करने की कार्यवाही अमल में लायी गई, साथ ही उच्चाधिकारियों से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उपभोक्ता के बीजक भुगतान की प्रत्याशा में एवं विद्युत अवरोध के समय को न्यूनतम रखने के क्रम में आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

3. साईट Trace कर उपभोक्ता प्रतिनिधि श्री विजय घिल्डियाल की उपस्थिति में मीटर पर रीडिंग की जांच करवाकर ही चैकिंग रिर्पोट संख्या 30/35 के माध्यम से विद्युत बीजक तैयार करवाया गया है। उपभोक्ता द्वारा

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रदत्त पते में दुराभास होने के कारण ही बीच अवधि में रीडिंग पर बीजक निर्गत करना संभव नहीं हो पाया। साथ ही मा0 मंच के संज्ञान में लाना है कि उपभोक्ता द्वारा गत 04 वर्ष की अवधि में बीजक प्राप्त करने, पता सही करवाने अथवा दूरभाष/ई0मेल में उचित संशोधन करवाने हेतु भी कोई संपर्क नहीं किया गया है।

4. वर्तमान अवधि में प्रसारित बीजक समकक्ष वर्षवार विद्युत टैरिफ के अनुपालन में प्रेषित किया गया है। साथ ही पुनः अवगत कराना है कि खण्ड से प्राप्त निर्देशों के उपरांत विच्फत मूल्य के भुगतान की प्रत्याशा में बकाये पर विच्छेदन संयोजन को तत्काल प्रभाव से जोड़ दिया गया था एवं आरोप वर्तमान में निरर्थक एवं खण्डन योग्य है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया दिनांक 16.12.2024, 23.12.2024, 30.12.2024, 08.01.2025, 16.01.2025, 03.02.2025 एवं 06.02.2025 नियत की गई थी, उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों से परिवादी को मंच द्वारा अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी भी तिथि में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०कॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

24.03.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 132/2024

श्री देवीलाल पुत्र स्व0 श्री गन्देल सिंह — परिवादी
निवासी– ग्राम– समाल्टा पो0 समाल्टा
कालसी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 25.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परियादी परिवाद परिवादी द्वारा उनके सोलर विद्युत पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत का मूल्य ब्याज सहित दिलवाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी के पिता द्वारा उरेडा विभाग के सहयोग से विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर के साथ पावर परचेंज एग्रीमेंट कर सहिया (पाटन) में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जिससे लगातार विद्युत उत्पादित कर विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर को विद्युत सप्लाई की गयी, परन्तु महोदय आज दिनांक तक मात्र 937/ रू0 का भुगतान किया गया, बावजूद उत्पादन के प्रार्थी को प्रत्येक माह अनुसार सोलर पावर प्लांट हेतू दी गयी, विद्युत का बिल भी विलम्ब के साथ भेजा गया जिसमें प्रार्थी द्वारा 20000/ रू0 व 25000/ रू0 जमा भी किये गये व साथ ही साथ मौखिक व लिखित बिल व उत्पादित विद्युत जो विभाग को दी गयी, के संबंध में विभाग को बारम्बार अवगत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

कराया गया, परन्तु महोदय प्रार्थी को कोई राहत नही दी गयी, थक हार कर प्रार्थी ने दिनांक 29.11.2024 को श्रीमान् जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या को लिखित रखा, जिस पर श्रीमान् जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्या के तत्काल निराकरण हेतु उपस्थित अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर को विद्युत बिल समाप्त करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता के द्वारा कोई सकारात्मक निदान नही किया गया। अतः महोदय उपरोक्त समस्या का निदान कर प्रार्थी के बिल को माफ करने व प्रार्थी के सोलर द्वारा उत्पादित विद्युत का मूल्य दिलाते हुए कनेक्शन पुनः चालू कराने हेतु निर्देशित कर कृतार्थ करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 92, दिनांकित 08/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि श्री देवीलाल पुत्र स्व0 श्री गन्देल सिंह पुत्र श्री थेपडू, निवासी– ग्राम पाटन, सहिया, तहसील–कालसी, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है–

1. परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-/LIFE LINE BELOW POVERTY CONSUMER में 07 अक्टूबर 2003 को निर्गत किया गया था जिसकी संयोजन सं0 VN26215082030 है।
2. परिवादी का दिनांक 15.09.2024 को सोलर का मीटर स्थापित हुआ।
3. परिवादी के सोलर प्लांट की क्षमता–04 कि0वा0 है।
4. प्रारम्भिक यूनिट Import–01 तथा Export–01 है।

5. दिनांक 15.09.2024 से दिनांक 28.11.2024 तक परिवादी की कुल उपभोग की गई यूनिट 27587 तथा प्लांट द्वारा बनायी गयी कुल यूनिट 8098 है।
6. उपभोक्ता द्वारा उत्पादन की गई यूनिट उपभोक्ता द्वारा उपभोग उपयोग की गई यूनिट से कम है।
7. उपभोक्ता को निर्गत किये गये बिल सही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी की मूल शिकायत के क्रम में विपक्षी को आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया दिनांक 15.09.2024 से दिनांक 28.11.2024 तक परिवादी की कुल उपभोग की गई यूनिट 27587 तथा प्लांट द्वारा बनायी गयी कुल यूनिट 8098 है। उपभोक्ता द्वारा उत्पादन की गई यूनिट उपभोक्ता द्वारा उपभोग उपयोग की गई यूनिट से कम है। विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान POWER PURCHASE AGREEMENT के संदर्भ में चर्चा की गई, जिसका मंच द्वारा संज्ञान लिया गया एवं पाया कि उक्त AGREEMENT के क्लाज 4.5 **Billing Procedure** में स्पष्ट है कि In case of any dispute regarding the bill, Grid Interactive Rooftop and small Solar PV Plant shall file a written objection in the office of Chief Engineer, Distribution UPCLwith in fifteen days of receipt of the bill giving full particulars of the disputed item(s), with full detail/data and reasons of dispute and amount disputed agains each iteam. UPCL shall resolve the above dispute(s) with Grid Interactive Rooftop and small Solar PV Plant within 60 working days. उपरोक्त से स्पष्ट है कि परिवादी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण, मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

द्वारा अपनी शिकायत के निस्तारण हेतु POWER PURCHASE AGREEMENT के क्लाज 4.5 के प्रविधानो का अनुपालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच द्वारा परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह POWER PURCHASE AGREEMENT के क्लाज 4.5 में निहित प्रविधानों का अनुपालन करते हुए अपनी शिकायत के सामाधन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत् आवेदन करना सुनिश्चित करे। अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

25.3.2
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 133/2024

श्री गोपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहन सिंह
निवासी– लक्ष्मीपुर, विकासनगर
देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 27.03.2025

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विपक्षी द्वारा उनके मीटर की चैकिंग रिपोर्ट सं0 26/03 दि0 27.03.2024 के क्रम में प्रेषित निर्धारण को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि विद्युत संयोजन संख्या VN63146023949, Load- 5.00 KW है। विभाग द्वारा मेरे विद्युत संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया गया, जिसमें प्रार्थी के मीटर को धीमा चलता पाया गया, जिसका विभाग द्वारा कुल रूपये 141475.00 का बिल बनाया गया है, जो कि अत्याधिक है एवं प्रार्थी उक्त बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग कार्यालय विकासनगर में भी प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2024 को दिया

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि०कॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

गया है। प्रार्थी को विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये बिलों का भुगतान समय पर किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि विभाग द्वारा बनाया गया निर्धारण को निरस्त करवाने की कृपा करें, जिस हेतु प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 93, दिनांकित 08/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि श्री गोपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सोहन सिंह, निवासी– लक्ष्मीपुर, विकासनगर, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है:–

1. परिवादी का संयोजन अघरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-20 Other Non Domestic More Than 04 KW and upto 25 KW में 05 मार्च 1999 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं0 VN63146023949 है।
2. परिवादी की शिकायत के आधार पर समस्त आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि परिवादी का विद्युत मीटर दिनांक 27.03.2024 को विद्युत वितरण खण्ड के उपखण्ड अधिकारी (चैकिंग रिपोंट सं0 26/03 दि0 27.03.2024) द्वारा संदेहास्पद पाए जाने के कारण सील बन्द किया गया।
3. विद्युत परीक्षणशाला (नगरीय), देहरादून में परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 03.06.2024 को मीटर की जांच की गई। जांच रिपोंट के अनुसार मीटर 66.888% धीमा पाया गया, जिसका कुल निर्धारण रू0 1,41,475.00 किया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को निर्धारण चैकिंग रिपोंट सं0 26/03 दि0 27.03.2024 मीटर की परीक्षण

खण्ड में परिवादी की मौजूदगी में जाँच किये जाने के उपरान्त प्रेषित किया गया है, जो नियमानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/2025 27/03/25 27-03-25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun – 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 134 / 2024

श्रीमती सरोज राणा
निवासी– हरिजन बस्ती, दुर्गापुरम
मोथरोवाला, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 27.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके मीटर में आर0डी0एफ0 रीडिंग और अनुचित बिल के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 की ओर से हमारा कनेक्शन संख्या SD25732131101, खाता संख्या 40107093976 और मीटर नंबर– U230381 पर फरवरी 2024 के बाद अक्टूबर में बिल दिया गया। कई बार बिल मांगने पर भी बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। बिल की रीडिंग लेने आने वाले कर्मचारियों का कहना है कि मीटर सही है। अगर मीटर सही है, तो मीटर रीडिंग के अनुसार बिल क्यों नहीं दिया गया। बार–बार कहने के बाद

भी यूपीसीएल की ओर से बिल देने में टालबराई की गई। बहुत जोर देने के बाद लगभग 8000 हजार रूपये का बिल थमा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। बिल बढ़कर 9 हजार से अधिक हो गया है, बिल में आर0डी0एफ0 अंकित किया गया है। सवाल यह है कि जब मीटर रीडर मीटर को सही बता रहा है, तो फिर आर.डी.एफ. क्यों लिखा गया, अब जो नवम्बर माह का बिल दिया गया है, उसमें आर.डी.एफ. अंकित नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारी समस्या का समाधान करने के बजाय बिल जमा करने का दबाव बना रहे हैं। मंच से अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए और जो अनुचित बिल दिया गया है, उसे माफ करने की कृपा कीजिएगा।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 894, दिनांकित 07/01/2025 से मंच को बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार अवगत करया गया है:–

1. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में विद्युत संयोजन सं0 SD25732131101 जो कि श्री त्रैपन सिंह के नाम से दिनांक 14 सितम्बर 2005 को निर्गत किया गया है।
2. उपभोक्ता को माह 02/2024 तक वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किये गये हैं, जिसका भुगतान उनके द्वारा दिनांक 12.02.2024 को किया गया है, साथ ही दिनांक 12.02.2024 के उपरान्त किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
3. माह 03/2024 से माह 10/2024 तक मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता को आर0डी0एफ0 के बिल निर्गत किये गये हैं।
4. साथ ही उक्त संयोजन की एम0आर0आई0 की एम0आर0आई0 रिर्पोट संकलित की गई है, जिसमें माहवार खपत के आधार पर रीडिंग प्रेषित की गई है। (संलग्न)।

5. माह 12/2024 को अवर अभियन्ता से मापक की वास्तविक रीडिंग प्राप्त कर मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधन कर दिया गया है, जिसमें धनराशि रू0 7471.00 अंकित है सुलभ सन्दर्भ हेतु बिल संशोधन की प्रति संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की दिनांक 14/0/2024 को NA के आधार पर बिल प्रेषित किया गया इसके पश्चात् दिनांक 10.06.2024 से 14.10.2024 अर्थात् 4 बिल चक्रों में RDF के आधार के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 05 बिल चक्रो में औसत (एन0आर/आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the

Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 14.05.2024 से दिनांक 14.10.2024 अर्थात् 05 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0ए0/आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 03 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित 14.05.2024 से दिनांक 14.10.2024 अर्थात् 05 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0ए0/आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 03 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

27.03.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 135/2024

श्रीमती रचना
निवासी– गली नं0 29, अमित ग्राम
गुमानीवाला,ऋषिकेश। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम
दिनांकः 28.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उनका खाता सं0 41801657646 है, तथा वह अमित ग्राम, गुमानीवाला ऋषिकेश की निवासी है। इस शिकायत पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मेरे माह अगस्त का बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धि दर्शित की गई है जो कि किसी भी दशा में हमारे पिछले व वर्तमान प्रयोग से कहीं अधिक है, क्योंकि मेरा पिछले 06 महीनों का 30 दिनों का औसत उपयोग ही 260 यूनिट का जिसका विद्युत कर रू0 1500–2000 के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आसपास बनता है पर अगस्त का बिल 1437 यूनिट व रू0 10000 के ऊपर आना मेरे लिये सक्षम नहीं है मैं अधिकतम इस बिल का रू0 2500 तक ही भुगतान करने मैं सक्षम हूं। मेरे लिये महीने के हर खर्चे का ध्यान रखकर व सही–सही उपयोग के लिए प्रयास से प्लान करना होता है जो सीमित है व मेरे पति भी बिजनेस लॉस होने के कारण भारी भरकम बिल अदायगी कर पाने में असमर्थ है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी प्रार्थना पर विचार करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1146, दिनांकित 28/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या RK12217083042 का माह 08/2023 में उपभोक्ता का विद्युत बिल कुल billed Unit-1437 Kwh कुल धनराशि 12399.00 का TDS Management Consulatant Pvt. Ltd. के द्वारा निर्गत हुआ है। जिन्हें उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया। उसके उपरान्त माह 09/2024 में billed Unit-256 Kwh माह 11/2024 में billed Unit-177 Kwh तथा माह 12/2024 में billed Unit122 Kwh का निर्गत हुआ। जिस कारण माह 12/2024 तक उपभोक्ता के विद्युत बिल की धनराशि 15161.00 हो गयी है। जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया है। उपभोक्ता के विद्युत बिल मीटर रीडिंग अनुसार ही निर्गत किये जा रहे है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 15/07/2024 से 13/08/2024 अर्थात् 30

दिनों में 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 1437 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 30 दिन में 1437 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 47.90 यूनिट अथात् 48 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। 2 किलोवाट के संयोजन पर दर्शायी गयी प्रतिदिन 48 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। परिवादी को एकाएक बिल दिनांक 15/07/2024 से 13/08/2024 अर्थात् 30 दिनों में विपक्षी द्वारा 1437 यूनिट खपत का बिल भेजा गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उसकी इतनी अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न ही विवादित विद्युत चक्र के बाद।

मंच 2 किलोवाट स्वीकृत भार पर 47.9 यूनिट प्रतिदिन की खपत को स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 15/07/2024 से 13/08/2024 अर्थात् 30 दिनों को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (07/2024, 06/2024 एवं 05/2024) की औसत खपत क्रमशः (414+388+231/3=344.33 यूनिट अर्थात् 344 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को दिनांक 15/07/2024 से 13/08/2024 अर्थात् 30 दिनों का प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (07/2024, 06/2024 एवं 05/2024) की औसत खपत क्रमशः (414+388+231/3=344.33 यूनिट अर्थात् 344 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,** 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/03/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/3/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

28.03.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 136/2024

Shri. Manish Thapliyal V/s **Executive Engineer, EDD, (Raipur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 07.03.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 08.01.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्षी द्वारा पस्स्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 5–6 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विगत माह से देखने में आया है कि मेरे उक्त आवास में बिजली का बिल अनायास ही अत्यधिक वृद्धि के साथ प्राप्त हुआ है। मंच से अनुरोध है कि इस पर जांच करके बिल में वांछित संशोधन करके उचित राशि का बिल भेजने का कष्ट करें, ताकि मैं उसका शीघ्र भुगतान कर सकूं।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या कार्यालय ज्ञाप संख्या 1221 दिनांकित 28.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के अनुमन्य विभागीय नियमानुसार संशोधित किया जा रहा है। अतः उपभोक्ता के बिल में सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से रू0 5431.00 घटाये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

07/03/2025	07/03/25	07/03/2025
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 137 / 2024

श्री मौ0 नवाब अली
निवासी– मौ0 मसज्जिद वाली गली
अजबपुर कलां, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम

दिनांक: 18.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी का संयोजन संख्या CD27152213454, मस्जिद वाली गली, अजबपुर कला, देहरादून में है। महोदय आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी का माह जुलाई 2024 तक का विद्युत बीजक मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत किया जा रहा था परन्तु माह जुलाई 2024 के बाद के विद्युत बीजक एन0ए0 व आर0डी0एफ0 के आधार पर निर्गत किया गया है। महोदय प्रार्थी द्वारा सभी निर्गत विद्युत बीजको का ससमय भुगतान किया गया परन्तु अचानक माह नवम्बर 2024 में निर्गत विद्युत बिल रू0 31934.00 का आया जोकि प्रार्थी के पुराने विद्युत बीजकों के तुलना अत्याधिक है। महोदय आपको यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी का विद्युत मीटर आई0डी0एफ0 के आधार

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

पर माह दिसम्बर 2024 में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का मीटर पूर्व से ही खराब था व मीटर पर दर्शायी गई यूनिट अंदाजन दर्ज की गई है। प्रार्थी का संयोजन दो दिन पूर्व ही काट दिया गया है व प्रार्थी का परिवार बिना बिजली के रह रहा है। महोदय प्रार्थी एक मजदूर है व बी0पी0एल0 कार्ड धारक की श्रेणी में आता है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अतः प्रार्थी आपसे निवेदन करता है कि प्रार्थी को उचित न्याय दिलवाने की कृपा कर व प्रार्थी के विद्युत संयोजन को पुनः जोड़ने के आदेश पारित करे।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2474, दिनांकित 30/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उक्त परिवादी मौ0 नवाब अली, निवासी–मस्जिद वाली गली, अजबपुर कला, देहरादून के संयोजन सं0 CD27152213454 के बिल टी0डी0एस0 मीटर रीडर द्वारा माह 07/2024 से 11/2024 तक बिल आर0डी0एफ0 में निर्गत किये जा रहे थे। उपभोक्ता के परिसर पर लगे विद्युत मीटर का अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता के विद्युत मीटर में रीडिंग 45914 पायी गयी है एवं वर्तमान रीडिंग के अनुसार बिल संशोधन किया गया है।

मीटर की एम0आर0आई0 करने हेतु मंच के निर्देश के सम्बन्ध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2548, दिनांकित 16.01.2025 से मंच को अवगत कराया गया कि सहायक अभियन्ता मीटर विद्युत परीक्षणशाला (के0), 18 ई0सी0रोड, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 235 दिनांक 15.01.2025 (पत्र संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया कि, मीटर संख्या E83217 जो कि पुराना Comet Make मीटर है, की एम0आर0आई0 कराना सम्भव नही हो पा रही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 11/06/2024 से 13/07/2024 तक NR के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किया गया, इसके उपरान्त 14.07.2024 से 18.10.2024 तक RDF के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, इसके पश्चात् 19.10.2024 से 18.11.2024 तक MU के आधार पर 4982 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 5: Metering & Billing 5.2.1 (2)*** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नही किया है जिस कारण वर्तमान शिकायत की उत्पति हुई है, जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में दर्शायी गयी 4982 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार भी अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व एवं बाद की खपत के अनुसार प्रतिदिन 30.75 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 18/11/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2024, 05/2024 एवं 04/2024 क्रमशः (09+54+105/3=56 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 18/11/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2024, 05/2024 एवं 04/2024 क्रमशः (09+54+105/3=56 यूनिट) के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/03/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

18/03/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

18-03-'25 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 138/2024

श्री जितेन्द्र पाल सिंह
निवासी– ए–407, चतुर्थ तल, टावर ए0
फॉरेस्ट रेजीडैन्सी, मौजा सिनौला, मसूरी रोड
देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम दिनांक: 21.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी का एक कमरे का फ्लैट जो की फॉरेस्ट रेजीडैन्सी, ए–407, चतुर्थ तल, टावरए0, मौजा सिनौला, मसूरी रोड़, देहरादून पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल मात्र 200 वर्ग फीट है एवं जिसमें केवल 02 कि0वा0 का एक घरेलू विद्युत कनैक्शन है (कनैक्शन सं0 7021122997681), उक्त फ्लैट का विद्युत बिल अनुचित रूप से बढ़ा कर जारी किया जा रहा है। फ्लैट में मात्र एक कमरा है जिसमें एक पंखा, एक बल्ब, एक टी0वी0 है। माह फरवरी 2024 में (बिल तिथि 29.02.2024, बिल सं0 484240229185234, बिलिंग अवधि 06.12.2023 से 06.02.2024) के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रो0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माध्यम सेरू0 50,046/– का विद्युत बिल बिना मीटर रीडिंग लिए विद्युत विभाग द्वारा जारी किया गया था जिसके सापेक्ष प्रार्थी द्वारा मार्च माह में कुल रू0 35,000/– का भुगतान भी कर दिया गया था (पावती सं0 3548419032411080001) तथा उसके बाद माह अगस्त 2024 में बिना मीटर रीडिंग लिए (बिल तिथि 13.08.2024, बिल संख्या 28484240813000013, बिलिंग अवधि 06.02.2024 से 13.08.2024) रू0 2,93,415/– का विद्युत बिल विभाग द्वारा जारी कर दिया गया तथा उक्त बिल के संबंध में विभाग से बार–बार संपर्क करने पर भी कोई कार्यवाही नही की गयी। उक्त के उपरांत प्रार्थी द्वारा मीटर के खराब होने के संबंध में शिकायत करने पर विद्युत विभाग द्वारा मीटर को बदल दिया गया परंतु फिर भी प्रार्थी के अनुरोध करने पर भी उक्त खराब मीटर को जांच के लिए नहीं भेजा गया तथा विद्युत विभाग द्वारा उक्त अनुचित बिल का भुगतान करने के लिए प्रार्थी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है अन्यथा की स्थिति में कनैक्शन काटने के लिए कहा जा रहा है एवं जब से नया मीटर लगाया गया है तब से अभी तक भी विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने के लिए नहीं आया एवं अब तक ना ही नये मीटर का कोई बिल जारी किया गया है। महोदय, कुल 200 वर्ग फीट के कमरे में जिसमें एक पंखा, एक टी0वी0, एक बल्ब हो तथा जिस कमरे का उपयोग भी कभी–कभी किया जाता है एवं उक्त कमरे में कोई निवास भी नहीं करता उसका रू0 2,93,415/– का विद्युत बिल बिना मीटर रीडिंग लिए जारी करना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है जिस वजह से प्रार्थी को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए त्वरित एवं उचित कार्यवाही करने की कृपा करे एवं अपने विभाग को विद्युत कनैक्शन ना काटने के आवश्यक निर्देश जारी करने की अनुकंपा करे जिसके लिए प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 13, दिनांकित 08/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0(उ0) 18 ई0सी0 रोड, के पत्रांक संख्या 5274 दिनांक 28.12.2024 के अनुपालन में आपको अवगत कराना है कि संयोजन संख्या 7021122997681 (श्री जितेन्द्र पाल सिंह) के मापक संख्या 40117654 को दिनांक 10.06.2024 को IDF के आधार पर विद्युत परीक्षणशाला (उत्तर) 18 ई0सी0 रोड़ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मापक संख्या 40117654 की एम0आर0आई0 दिनांक 11.06.2024 को की गयी जिसमें मापक का अन्तिम पाठ्यांक 47448.89 KWH पाया गया। मापक के अन्तिम पाठ्यांक के आधार पर उपभोक्ता का विद्युत बीजक रू0 293416.00 का निर्गत किया गया। उपभोक्ता को मापक प्रतिस्थापन के उपरांत माह अगस्त 2024, अक्टूबर 2024 एवं दिसम्बर 2024 में विद्युत बीजक ससमय निर्गत किये गये है। (बीजाके की छायाप्रति संलग्न)।

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 35, दिनांकित 18/01/2025 से मंच को अवगत कराया कि दिनांक 10.01.2025 को सुनवाई में उपभोकता के बिल को पुनरीक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया था। चूंकि उपभोक्ता के माह अगस्त 2024 के बिल में एम0आर0आई0 रिपोंट के आधार पर अन्तिम पाठ्यांक अंकित करने पर एक साथ 37587 यूनिट्स का विद्युत बीजक निर्गत किया गया था, जिसे 03.08.2021 से 10.06.2024 (38 माह) में विभक्त किया गया। बिल संशोधन रिपोंट तैयार करने के उपरान्त उपभोक्ता के कुल बीजक में रू0 25894.00 कम हो जायेगे, जिससे उपभोक्ता का 07.12.2024 तक का अन्तिम विद्युत बीजक रू0 281688.00 हो जायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की दिनांक 05/06/2022 से 10/06/2024

(मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 736 दिनों में 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर कुल (47447–590) 46857 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है, जो कि इस अवधि में 63.66 यूनिट प्रतिदिन बनती है। 2 किलोवाट विद्युत भार पर 63.66 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गई खपत को तकनीकि रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। परंतु एकाएक बिल चक्र 08/2024 में उसे विपक्षी द्वारा 37587 यूनिट विद्युत खपत का बिल भेजा गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उसकी इतनी अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न ही मीटर बदले जाने के उपरान्त। विपक्षी द्वारा उपरोक्त के क्रम में एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तु की गई एम0आर0आई0 रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने स्वीकृत विद्युत भार के सापेक्ष ही विद्युत का उपभोग किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 10/2022 से 08/2023 अर्थात् 05 विद्युत बिल चक्रों में एन0आर0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये इसके पश्चात् 10/2023 से 02/2024 अर्थात् 03 विद्युत बिल चक्रों में आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये इसके पश्चात् बिल चक्र 08/2024 में मीटर बदले जाने के उपरान्त 37587 यूनिट का बिल प्रेषित कया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर बदले जाने के उपरान्त कुल 09 बिल चक्रो में औसत (एन0आर/आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि मे या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 31.10.2022 से मीटर बदले जाने की तिथि 10.06.2024 अर्थात् 09 विद्युत बिल चक्रो मे प्राप्त एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया

जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 07 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित दिनांकित 31.10.2022 से मीटर बदले जाने की तिथि 10.06.2024 अर्थात् 09 विद्युत बिल चक्रों में प्राप्त एन0ए0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 07 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,** 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/03/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/03/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

21.03.2

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 139/2024

श्री सुरेन्द्र सिंह परमार
निवासी– मंदिर लेन साउथ वनस्थली
बल्लूपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 24.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मैं सुरेन्द्र सिंह परमार जिसका विद्युत कनेक्शन संख्या SD66126093819 है, जो कि एक छोटी सी दुकान का है, जिसमें एक–दो बल्ब ही जलते है जिसका बिजली का बिल हर महीने 700/– रूपये आता है, परन्तु सितम्बर के महीने में मीटर खराब हो गया था, जब नया मीटर लगा तो मीटर रीडिंग एकदम से जम्प कर बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ गया, जो कि मान्य नही है और न ही इससे मैं संतुष्ट हूँ। कृपया करके आप मेरी समस्याओं को समझे और इस विषय पर जांच पडताल करके उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1307, दिनांकित 09/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण), देहरादून के पत्र संख्या 3491/न0वि0वि0ख0(द) दिनांक 28.12.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उपभोक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह परमार, निवासी मन्दिर लेन साउथ वनस्थली, बल्लूपुर, देहरादून (विद्युत संयोजन संख्या SD66126093819) द्वारा माह 08/2024 का बिल अधिक आने की शिकायत की है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1267/वि0वि0ख0 बंसत विहार/मीटर दिनांक 31.12.2024 से सहायक अभियन्ता मीटर, विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून को उपभोक्ता के पुराने मीटर संख्या 676412 की एम0आर0आई0 रिर्पोट तथा मीटर जम्प होने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता मीटर द्वारा अपने पत्र संख्या 08/वि0परी0शा0(द0) दिनांक 07.01.2025 से अवगत कराया गया है कि " उक्त संयोजन का पुराना मापक संख्या 676412 आई0डी0एफ0 कम्पलेंट पर दिनांक 06.10.2024 बदला गया व लैब में चैक करने पर No display पाया गया, लैब में जांच कर उक्त आई0डी0एफ0 मीटर Scrap मीटरों के साथ आराघर भेज दिया गया है।"

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता के मीटर संख्या 676412 की एम0आर0आई0 रिर्पोट परीक्षण शाला (दक्षिण), देहरादून द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 15/06/2024 से 18/08/2024 तक MU के आधार पर 3419 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 5: Metering & Billing 5.2.1 (2)*** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है जिस कारण वर्तमान शिकायत की उत्पति हुई है, जिसे मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में दर्शायी गयी 3419 यूनिट के विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार भी अधिकतम माँग तथा मीटर बदलने से पूर्व एवं बाद की खपत के अनुसार प्रतिदिन 52.76 यूनिट की खपत असंभव है। विपक्षी द्वारा इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 18/08/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2024, 05/2024 एवं 04/2024 क्रमशः (69+77+64/3=70 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 18/08/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 06/2024, 05/2024 एवं 04/2024 क्रमशः (69+77+64/3=70 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में

प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

24.03.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 140 / 2024

श्री खलील ,
निवासी– खुशहालपुर, पोस्ट– खुशहालपुर, सहसपुर,
देहरादून ।। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 07.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकि सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा बिजली मीटर खराब होने के कारण उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके पोल्ट्री फार्म में बिजली का मीटर (मीटर सं0 764402 ए खाता सं0 40109305687) लगभग कई महीनों से खराब था, रीडिंग साफ नही दिखती थी, आधे–आधे नंबर दिखते थे। इस संबंध में उनके द्वारा ऑनलाईन और ऑफलाईन शिकायत की थी, लेकिन उसे बदला नहीं गया। उनके बिल खराब होने से पहले पॉच छहः महीनों का बिल फरवरी 2024 के 3596.00 आया था, हर महीने 500

या 600 का बिल आता था। इस बिल के आने का चार पॉच दिन बाद 03 मार्च 2024 को टीम आई थी, उन्होंने मीटर में साफ रीडिंग न होने के बावजूदी भी 12307रू0 का बिल काटा। इसके बाद हर महीने अन्दाजे से ऑनलाईन मैसेज में बिल 2000 या 3000 रू0 बढाकर आता रहा। इसी प्रकार अप्रैल 2024 को 14280रू0, मई 2024 को 17562रू0 का मैसेज आया, जबकि पोल्ट्री फार्म 4 महीने (मार्च, अप्रैल, मई, जून) बन्द भी रहा है। परिवादी बार–बार बिजली विभाग हरबर्टपुर में शिकायत करते रहे , तब जाकर 21 जून 2024 को नया मीटर लगाया गया। इस मीटर में 500–600 महीने का बिल है, जैसाकि पहले सही मीटर मे आता था। बिजली विभाग हरबर्टपुर में उपखण्ड अधिकारी आदि ने कहा था कि खराब मीटर की एम0आर0आई0 कर के सही रीडिंग के अनुसार पुराने बिल ठीक कर लेंगे या नए मीटर के आधार पर बिल सही कर देगे, लेकिन अब भी पुराने बिल ज्यों के त्यों जोडकर भेजे जा रहे हैं, जैसे जुलाई 2024 को 21780 रू0, सितम्बर में 22585 रू0, अक्टूबर को 23050 रू0 का बिल आया। अतः मंच से विनम्र निवेदन है कि मीटर की जॉच आदि करके सही रकम बता दी जाए ताकि परिवादी उक्त राशि का बिल जमा कर सके।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशीसी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 94, दिनांकित 08/01/2024 से मंच को निम्नवत् अवगत है:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिं०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. परिवादी का विद्युत संयोजन सं0 **VN61604450383** विद्युत भार 02 किलो वाट, अघरेलू श्रेणी को **STN-25/ (SMALL NON- DOMESTIC UPTO 4 KW)** में निर्गत किया है।
2. परिवादी का खराब मीटर दिनांक 21.06.2024 को बदल दिया गया, जिसकी रीडिंग 9579 यूनिट है।
3. परिवादी को बिल रीडिंग के आधार पर प्रेषित किए गए हैं जो कि नियमानुसार सही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 04/2024 एवं 05/2024 को एन0ए0/एन0आर0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियामानुसार सही हैं, यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदली जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall

be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. प्रस्तुत प्रकरण में भी विपक्षी द्वारा परिवादी को दो बिल चक्रों से अधिक अवधि में **average consumption** के विद्युत बिल जारी नहीं किये गयें है। उक्त के पश्चात् विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित विद्युत बिलों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नही करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

07/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

07/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

07-03-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 141/2024

Shri. Afzal Ahmad **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 07.03.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 16.01.2025 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 8–9 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है उनका बिल 9 किलोवाट के हिसाब से आ रहा है, जबकि उनके घर पर 2 किलोवाट का कनेक्शन लगा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को शिकायत का समाधान करनें हेतु आदेशित करनें की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम मे विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 603 दिनांकित 08.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्री अफजल अहमद के विद्युत संयोजन संख्या SD25312126015 पर 01 फरवरी 2024 को विद्युत भार त्रुटिवश 09 किलोवाट संशोधित कर दिया गया था। वर्तमान में उपरोक्त संयोजन पर तीन माह की माँग के अनुरूप विद्युत भार संशोधित कर 02 किलोवाट कर दिया गया है। साथ ही फिक्स चार्ज में सुधार हेतु भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप लेजर के अनुसार परिवादी का विद्युत बीजक ऋणात्मक 7131.99 का है, इस परिस्थिति मे उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

07/03/2025 | 07/03/25 | 07/03/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

वाद संख्या 142/2024 से 178/2024

परिवाद सं0 142/2024

श्री जगमोहन सिंह — एवं — परिवादी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 143/2024 — एवं — परिवादी

श्री विवेक सिंह
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 144/2024 — एवं — परिवादी

श्रीमती प्रभा
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 145/2024 — एवं — परिवादी

श्रीमती हिमा
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 146/2024 — एवं — परिवादी

श्रीमती किरन
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 147/2024 — एवं — परिवादी

श्री मनमोहन सिंह
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 148/2024 एवं परिवादी

श्रीमती आशा
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 149/2024 एवं परिवादी

श्रीमती सुनीता देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 150/2024 एवं परिवादी

श्री यशवंत
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 151/2024 एवं परिवादी

श्रीमती शोभा देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 152/2024 एवं परिवादी

श्रीमती बबीता
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 153/2024 एवं परिवादी

श्रीमती नीलम पवांर
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal-Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 154/2024 एवं परिवादी

श्री जितेन्द्र प्रकाश जैन
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 155/2024 एवं परिवादी

श्रीमती आशा जोशी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 156/2024 एवं परिवादी

श्रीमती संतोषी रावत
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 157/2024 एवं परिवादी

श्रीमती प्रभा पत्नी अनूप ईष्टवाल
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 158/2024 एवं परिवादी

श्री आशीष पटवाल
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 159/2024 एवं परिवादी

श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला

देहरादून।

परिवाद सं0 160/2024 एवं परिवादी

श्रीमती रेखा देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 161/2024 एवं परिवादी

श्रीमती पूनम देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 162/2024 एवं परिवादी

श्रीमती विरंजना राणा
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 163/2024 एवं परिवादी

श्रीमती किरन रावत
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 164/2024 एवं परिवादी

श्रीमती नीलम
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 165/2024 एवं परिवादी

श्रीमती शशि
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 166 / 2024 एवं परिवादी

श्रीमती निर्मला देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 167 / 2024 एवं परिवादी

श्री शमशेर पार्की
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 168 / 2024 एवं परिवादी

श्रीमती रेखा टम्टा
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 169 / 2024 एवं परिवादी

श्रीमती संगीता देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 170 / 2024 एवं परिवादी

श्री अनूप रावत
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 171 / 2024 एवं परिवादी

श्री सुमित कुमार
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 172/2024	एवं	परिवादी

श्रीमती मीरा असवाल
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 173/2024	एवं	परिवादी

श्री जयवीर सिंह
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 174/2024	एवं	परिवादी

श्री दीपक सिंह नेगी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 175/2024	एवं	परिवादी

श्रीमती शंकुतला देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 175/2024	एवं	परिवादी

श्रीमती शंकुतला देवी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 176/2024	एवं	परिवादी

श्री कामेश त्यागी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 177/2024 एवं परिवादी

श्री मनमोहन सिंह रावत
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

परिवाद सं0 178/2024 एवं परिवादी

श्रीमती पूनम डिमरी
निवासी– बाला जी एन्क्लेव, बडोवाला
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 26.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

उपरोक्त सभी वाद परिवादीगणों की ओर से उनके परिसर पर लो वोल्टेज की शिकायत के संबंध में योजित किये गये है।

उपरोक्त सभी परिवाद एक ही प्रकृति के है जिनका निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है।

परिवादीगणों का कथन निम्नवत् है:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135-2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादीगणों द्वारा अपने शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनकी कॉलोनी में काफी समय से विद्युत की लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है तथा वोल्टेज की अस्थिरता के कारण घरों के विद्युत उपकरण चल नही रहे है, जिस कारण उनके आवासों के विद्युत उपकरण भी खराब हो रहे है। उक्त के संबंध में भी विद्युत विभाग को काफी बार अवगत कराया गया है परन्तु इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त समस्या का समाधान कर आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में सभी वादों के सम्बन्ध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 995, दिनाकित 25/01/2025 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया गया है कि :–

बिन्दु संख्या 1– उक्त कॉलोनी/क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने हेतु 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका हैं (प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न), जिसे स्थापित करने हेतु M/s S.R. Constructions Company, 239, khurbura, Dehradun के साथ दिनांक 14.10.2024 को अनुबन्ध हो चुका है (अनुबन्ध की छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 2– अनुबन्ध के सापेक्ष S.R. Constructions के कर्मचारियों द्वारा जब 11 के0वी0 की लाईन बनाने का कार्य किया जा रहा था तो उक्त बालाजी एक्क्लेव कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा "यह कहकर कि लाईन उनके घरों व खेतों के ऊपर से जा रही है" पर अपनी आपत्ति जताई है (आपत्ति पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिसके कारण लाईन बनाने का कार्य बीच में ही रोक दिया गया एवं ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं हो पाया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादीगणों की मूल शिकायतें लो वोल्टेज के संबंध में है। मंच द्वारा विपक्षी को उक्त शिकायतों के संबंध में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत

कराया गया कि उक्त कॉलोनी/क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने हेतु 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है (प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न), जिसे स्थापित करने हेतु M/s S.R. Constructions Company, 239, khurbura, Dehradun के साथ दिनांक 14.10.2024 को अनुबन्ध हो चुका है। अनुबन्ध के सापेक्ष S.R.Constructions के कर्मचारियों द्वारा जब 11 के0वी0 की लाईन बनाने का कार्य किया जा रहा था तो उक्त बालाजी एक्क्लेव कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा "यह कहकर कि लाईन उनके घरों व खेतों के ऊपर से जा रही हैं" पर अपनी आपत्ति जताई है, जिसके कारण लाईन बनाने का कार्य बीच में ही रोक दिया गया एवं ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं हो पाया।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, (Standard of Performance Regulations),2022** के **SCHEDULE-I(Guaranteed Standards of Performance)** के क्र0सं0 **3.1(1)** का संज्ञान लिया गया **"The licensee shall maintain the voltages at the point of commencement of supply to a consumer within the limits stipulated hereunder, with reference to declated voltage":(a) In the case of low Voltage (LT), +6% and -6%;** उपरोक्त विनियम से स्पष्ट है कि उपरोक्त शिकायत उक्त की श्रेणी में आती है, जिसके निवारण हेतु माननीय् **UERC** द्वारा **SCHEDULE-I** के क्र0सं0 **3.1(2)(4)** में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि:- **The voltage problem shall be resolved with the time limits specified in Table given below: (4) Installation &Up-Gradation of HT/LT System. Time limit for rendring the service *within 180 days –for HT system.** विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान अपनी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया था कि बालाजी एक्क्लेव कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा "यह कहकर कि लाईन उनके घरों व खेतों के ऊपर से जा रही है" पर अपनी आपत्ति जताई है, जिसके कारण लाईन बनाने का कार्य बीच में ही रोक दिया गया एवं ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं हो पाया के संदर्भ में मंच का मत है कि विपक्षी उक्त शिकायतों के निस्तारण हेतु माननीय **UERC** द्वारा जारी उपरोक्त विनियमों के **SCHEDULE-I(Guaranteed Standards of Performance)** के तहत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, यदि उक्त कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति जताई है, तो विपक्षी उक्त कार्य को संपन्न कराये जाने हेतु पुलिस/जिला प्रशासन का सहयोग ले सकता है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Standard of Performance Regulations),2022** के उपरोक्त **SCHEDULE-I(Guaranteed Standards of Performance)** के क्र0सं0 **3.1(1)** एवं **3.1(2)(4)** में निहित प्रविधानों के अनुसार लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/03/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

26/03/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

26.3.25 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 179/2024

श्री फिरोज खान
निवासी– लेन नं0 6A क्लेमेन्टाउन,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 26.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद द्वारा उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मैं फिरोज खान, निवासी लेन नं0 6A पोस्ट ऑफिस रोड, क्लेमेन्टाउन, देहरादून पिछले एक वर्ष से बिजली कनेक्शन के लिए प्रयासरत हूँ। मेरे दुकान में पिछले एक वर्ष से बिजली कनेक्शन उपलब्ध था लेकिन दुकान मालिक के साथ हुए अनुबंध में संबंधित विवाद के कारण बिजली आपूर्ति काट दी गई। वर्तमान में यह मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मै अपने अधिकारों के तहत एक स्वतंत्र बिजली कनेक्शन का हकदार हूँ। विवादित मामले के बावजूद मुझे बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए

ताकि मुझे अपने दैनिक कार्यों में कठिनाई का सामना न करना पड़ें। मैनें सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए है और कानून के तहत अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त हूँ। कृपया मेरी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करें और मुझे बिजली कनेक्शन प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 904, दिनांकित 15/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि :–

1. मौ0 फिरोज पुत्र श्री मुन्ना खान द्वारा लेन नं0– 06 पोस्ट ऑफिस रोड़ पर विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था (आवेदन प्राप्त की प्रति संलग्न)
2. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा पंजीकरण संख्या 477090824015 के सापेक्ष स्थलीय निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण करने पर पाया कि लेन नं0– 6 ए पर स्थित जिस परिसर पर मौ0 फिरोज के नाम से संयोजन लेना चाहते हैं वह परिसर विवादित है, एवं मौ0 फिरोज द्वारा भवन स्वामी श्री नंद किशोर त्यागी के खिलाफ कोर्ट में केस विचाराधीन होना बताया गया।
3. उक्त प्रकरण संदेह जनक एवं विवादित होने के कारण क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि मौ0 फिरोज द्वारा जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं वे लेन नं0–10 पर स्थापित भूखण्ड के हैं जो कि श्री टीकाराम वर्मा पुत्र श्री भानीराम वर्मा के नाम है, साथ ही जो अनापत्ति प्रमाण पत्र टीकाराम वर्मा पुत्र श्री भानीराम वर्मा द्वारा दिया गया है उस पर पता म0 115/1 सी लेन नं0–10 पो0 रोड़, क्लेमेन्टाउन दर्शाया गया है, जबकि आवेदन पत्र पर लेन नं0–6 ए पोस्ट आफिस रोड लिखा गया है और

आवेदक द्वारा भी परिसर लेन नं0–6 ए पर दिखाया गया है, जो कि घरेलू न होकर अघरेलू श्रेणी में दुकान थी। (फोटो संलग्न)।

4. जिसके उपरान्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 30.08.2024 को पंजीकरण संख्या 477090824015 को निरस्तीकरण हेतु इस टिप्पणी के साथ "disputed property and court case in property applicant attached false documents" आपको hold and forward करते हुए अग्रसरित कर दी गई थी। (प्रति संलग्न)

5. सी0एम0 हैल्प लाईन में भी इनके सहयोगी श्री पूरण राम लेन नं0–10 क्लेमैन्टाउन देहरादून द्वारा विभाग की शिकायत की गई है, जिसकी प्रतिउत्तर सहित आख्या संलग्न की गई है।

6. साथ ही यह अवगत कराना है कि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–109/CT/2023 दिनांक 25.02.2023 द्वारा बिना स्वामित्व की भूमि (पट्टेधारी भूमि) पर विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु प्रतिबन्ध लगाया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा यह कहकर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया कि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–109/CT/2023 दिनांक 25.02.2023 द्वारा बिना स्वामित्व की भूमि (पट्टेधारी भूमि) पर विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु प्रतिबन्ध लगाया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

यहा पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय् :– **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के दूसरे परतुंक में आयोग द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and abjection has been raised on the premises by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction premises falls, the Licensee shall not grant new concetion to such Applicant.

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 30.08.2024 को पंजीकरण संख्या 477090824015 को निरस्तीकरण हेतु इस टिप्पणी के साथ "disputed property and court case in property applicant attached false documents" आपको hold and forward करते हुए अग्रसरित कर दी गई थी। इस संबंध में मंच द्वारा विपक्षी की आख्या के साथ संलग्न अवर अभियन्ता की रिपोर्ट का भी मंच द्वारा संज्ञान लिया गया। जिसके उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी का उपरोक्त अवर अभियन्ता की टिप्पणी माननीय् UERC के विनियम पर प्रभावी नहीं है।

परिवादी द्वारा मंच के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि जिस दुकान हेतु उनके द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है, उस दुकान में वह वर्तमान में कब्जेधारी है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है विपक्षी द्वारा माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(i)** के प्रथम परंतुक :– **Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection,** के तहत् परिवादी द्वारा पुनः अघरेलू श्रेणी में संयोजन आवदेन करने के पश्चात् परिवादी को नियामानुसार विद्युत संयोजन जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(i)** के प्रथम परंतुक :- **Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as**

per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection, के तहत् लेन 6A पोस्ट ऑफिस रोड क्लेमेंटाउन देहरादून में अघरेलू विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/03/2025   26/03/25   26.03.25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001
Phone 0135-2759745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्॰वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 180/2024

श्री सूरज मनी भट्ट
निवासी– आमवाला (सिंधीवाली)
नालापानी देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री रजनीश माथुर
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 28.03.2025
न्यायिक सदस्य
तकनीकी सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिलों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरे द्वारा माह जनवरी–2024 को मीटर की जॉच हेतु चैक मीटर के लिए आवेदन किया गया परन्तु विभाग द्वारा चैक मीटर न लगाकर लगभग चार (04) माह बाद मेरा विद्युत मापक दिनांक 27.05.2024 को नो डिस्प्ले के आधार पर बदल दिया गया। महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि पुराने मीटर संख्या 087596 के आधार पर दिनांक 23.11.2023 से मीटर बदले जाने की तिथि 27.05.2024 तक के विद्युत बिल प्रेषित किये गये है, जो कि हमारी वास्तविक खपत के आधार पर न होकर उससे काफी अधिक है। महोदय संज्ञान में यह भी लाना है कि उक्त मीटर जब सही था तो उक्त मापक को किन कारणों से बदला गया है, के संबंध में विद्युत विभाग से

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

स्पष्टीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें एवं हमारे विद्युत बिल दिनांक 14.01.2024 से 28.06.2024 (तीन बिल चक्र) को संशोधित कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 48, दिनांकित 15/01/2025 से मंच को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया गया है–:

1. विद्युत संयोजन संख्या 9721321415486 श्री सूरज मनी भट्ट, आमवाला (सिंधीवाली) नालापानी, देहरादून विद्युत भार 2 किलोवाट घरेलू विद्या में स्वीकृत है। उक्त विद्युत संयोजन दिनांक 26.10.2015 को अवमुक्त किया गया है।
2. अवमुक्त की दिनांक से वर्तमान तक उपभोक्ता को समस्त बिल मीटर रीडिंग के आधार पर प्रेषित किये गये है (बिलिंग हिस्ट्री संलग्न)।
3. उपभोक्ता द्वारा दिनांक 23.02.2024 को चैक मीटर स्थापित करने हेतु शिकायत दर्ज कराई थी परन्तु दिनांक 13.05.2024 तक भी उपभोक्ता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा न करने के कारण उक्त शिकायत को एडमिन द्वारा भुगतान जमा न करने के कारण बन्द कर दी गई। शिकायत संख्या 22302240710 है।
4. सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा खराब मीटर बदलने हेतु कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सहायक अभियन्ता(मीटर), विद्युत परीक्षण शाला, आराघर, देहरादून द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 27.05.2024 को नया मीटर स्थापित किया गया साथ ही पुराने उतारे गये मीटर की एम0आर0आई0 कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है (सीलिंग प्रमाण पत्र एवं उतारे मीटर की सीलिंग रिर्पोट व एम0आर0आई संलग्न)।

5. पुराने मीटर की एम0आर0आई0 से ज्ञात है कि उपभोक्ता का मीटर सही प्रकार से कार्य कर रहा था एवं उपभोक्ता को जो बिल प्रेषित किये गये है वह मीटर यूनिट के आधार पर ही हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 23/11/2023 से 27/05/2024 अर्थात् 187 दिनों में 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 4716 यूनिट की खपत दर्शायी गयी हैं। परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 187 दिन में 4716 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 25.21 यूनिट अथात् 25 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। 2 किलोवाट के संयोजन पर दर्शायी गयी प्रतिदिन 25 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। परिवादी को एकाएक दिनांक 23/11/2023 से 27/05/2024 अर्थात् 187 दिनों में विपक्षी द्वारा 4716 यूनिट खपत का बिल भेजा गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उसकी इतनी अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न मीटर बदलने के बाद।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में स्वयः स्वीकार किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा खराब मीटर बदलने हेतु कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण शाला, आराघर, देहरादून द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 27.05.2024 को नया मीटर स्थापित किया जिससे यह स्पष्ट है कि विद्युत मापक में तकनीकि खराबी के कारण ही परिवादी का विद्युत मापक बदला गया है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक

23/11/2023 से 27/05/2024 अर्थात् 187 दिनों में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (11/2023, 09/2023 एवं 07/2023) की औसत खपत क्रमशः (282+208+320/3=270 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 23/11/2023 से 27/05/2024 अर्थात् 187 दिनों में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (11/2023, 09/2023 एवं 07/2023) की औसत खपत क्रमशः (282+208+320/3=270 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

28.03.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 181 / 2024

श्री पूरन सिंह
निवासी– ग्राम– सकरौल पो0ओ0 कामला
तहसील–कालसी, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 20.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि प्रार्थी का आवास ग्राम सकरोल, पो0ओ0 कामला, तहसील कालसी जिला देहरादून में है। प्रार्थी के आवास पर विद्युत संयोजन संख्या VN24332408043 संयोजित है जिसका बिल प्रार्थी को प्रत्येक 02 माह में औसतन रू0 250 से 350 रूपये प्राप्त होता था एवं प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से विद्युत देयक को जमा कराया जाता है।प्रार्थी को माह अक्टूबर 2024 में रू0 10219.00 का देयक बिल वितरक द्वारा थमा दिया गया जबकि प्रार्थी नियमित रूप से अपने विद्युत बिल पर अंकित रीडिंग के अनुसार धनराशि जमा करता आया है, इतने अत्याधिक बिल के सम्बन्ध में बिल वितरक से पूछने पर उनके द्वारा अवगत कराया कि आपको आपकी मीटर की रीडिंग के हिसाब

से बिल दिया गया है, जबकि पूर्व मे भी प्रार्थी को बिल मीटर रीडिंग के हिसाब से ही बिल वितरक द्वारा प्रेषित किया जाता था। इस प्रकार से प्रार्थी को अचानक से अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने से प्रार्थी को मानसिक आघात पहुंचा है। इस पर बिल वितरक द्वारा अवगत कराया गया कि आपका मीटर जम्प कर गया है जिसको पूर्व की मीटर रीडिंग के अनुसार ठीक कराया जाना आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता से भी शिकायत की जा चुकी है किन्तु उनके द्वारा वर्तमान तक कोई कार्यवाही नही की गयी है। महोदय प्रार्थी उक्त अत्याधिक की धनराशि को जमा करने में समर्थ नहीं है पूर्व में भी प्रार्थी अपने बिल की धनरारि को नियमित रूप से जमा करता आया है जिसका कोई बकाया भी नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी के बिल की अत्याधिक धनरारि रू0 10219.00 को माफ करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 362, दिनांकित 29/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि श्री पूरन सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी–ग्राम सकरौल, पो0ओ0 कामला, तहसील, कालसी, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है

1. परिवादी का संयोजन अघरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-11/Life Line Below Poverty Consumers 01 KW में 15 दिसम्बर 2017 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं0 VN24332408043 है।
2. परिवादी का माह अक्टूबर 2024 क बिल MU पर निर्गत किया गया जिसकी देय विद्युत बीजक धनराशि रू0 10,123.00 थी। जिसका ठीक कर रू0 9,318.00 कर दिया गया है।
3. परिवादी का बीजक रीडिंग के अनुसार है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 22/08/2024 से 09/10/2024 अर्थात् 50 दिनों में 1 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 1961 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है, जो कि इस अवधि में 39.22 यूनिट प्रतिदिन बनती है। 1 किलोवाट विद्युत भार पर 39.22 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गई जो की तकनीकि रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। परंतु एकाएक बिल चक्र 10/2024 में उसे विपक्षी द्वारा 1961 यूनिट विद्युत खपत का बिल भेजा गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उसकी इतनी अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न ही उक्त बिल चक्र के बाद।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के क्रम में एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तु की गई एम0आर0आई0 रिपोर्ट के साथ संलग्न Billing Data Report के अनुसार भी 01.12.2025 को परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 6015.8KWH थी तथा एम0आर0आई0 किये जाने की तिथि दिनांक 05.12.2024 को परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 6018.8KWH थी जो कि 0.75 KWH प्रतिदिन की खपत होती है, इससे पूर्व माहों 01.11.2024 एवं 01.10.2024 में भी परिवादी की खपत क्रमशः 17.9 KWH एवं 29.3 KWH रही है, जोकि विवादित खपत से कई गुना कम है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 09/10/2024 में प्रेषित बीजक निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों (08/2024, 06/2024 एवं 02/2024) क्रमशः (417+112+136/3=221.66 यूनिट) की औसत खपत अर्थात् 222 के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 09/10/2024 में प्रेषित बीजक निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों (08/2024, 06/2024 एवं 02/2024) क्रमशः (417+112+136/3=221.66 यूनिट) की औसत खपत अर्थात् 222 यूनिट के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित विद्युत बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच मे प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/03/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

20/3/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

20.03.25 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 182/2024

श्री यशपाल वर्मा पुत्र श्री ज्योति प्रसाद
निवासी– ग्राम – रूद्रपुर, विकासनगर,
विकासनगर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 29.03.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिलों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।
परिवादी का कथन है कि प्रार्थी यशपाल वर्मा पुत्र श्री ज्योति प्रसाद, ग्राम व पो0ओ0 रूद्रपुर विकासनगर, देहरादून में निवास करते है। मैने बिल से सम्बन्धित कार्यवाही डिवीजन कार्यालय विकासनगर व हरबर्टपुर से जानकारी मांगी, परन्तु उन्होंने मुझे कोई संतुष्टि नही दे पाये, मेरे द्वारा चैक मीटर की रसीद कटाकर मीटर लगवाया, उसके द्वारा जो रीडिंग मिल वह एक हफ्ते में 24 यूनिट है इस प्रकार से मेरी रीडिंग दो माह की 200 यूनिट लगभग आती है परन्तु मेरे द्वारा हमेशा से बीजक का भुगतान समय से करता आ रहा हूँ लेकिन माह नवम्बर, दिसम्बर से पहले से बिल बहुत बढ़कर आ रहा है जिससे प्रार्थी अत्याधिक परेशान चल रहा है क्योंकि मेरे बिल की धनराशि 63592/–

(तिरेसठ हजार पांच सौ बानवे रूपये) है, जबकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। इस बिल का भुगतान करने में मै सक्षम नही हूँ, मेरे परिवार की स्थिति गरीबी व मजदूरी से चलता है। अतः आपसे करबध प्रार्थाना है कि प्रार्थी की मजबूरी व गरीबी को ध्यान में रखते हुए मुझे इस बिल को सही करवाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 363, दिनांकित 29/01/2025 से मंच को बिन्दुवार अवगत कराया गया है–

1. परिवादी का संयोजन अघरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW में 26 मार्च 2007 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं० VN11613151939 है।
2. परिवादी के यहाँ दिनांक 17.12.2024 में चैक मीटर लगाया गया जिसमें चैक मीटर व मैन मीटर की रीडिंग में कोई अन्तर नहीं आया।
3. परिवादी को निर्गत बिल मीटर यूनिट के आधार पर है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 26/07/2024 से 24/11/2024 अर्थात् 122 दिनों में 3 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 7242 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 122 दिनों में 7242 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 59.36 यूनिट अथात् 59 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त खपत को तकनीकि रूप से (एम०आर०आई०) आदि) साबित करने में नाकाम रहा है। 3 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 59 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

ऐसी दशा में परिवादी को 26/07/2024 से 24/11/2024 अर्थात् 122 दिनों में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (07/2024, 05/2024 एवं 03/2024) की औसत खपत क्रमशः (605+561+686/3=617.33 यूनिट अर्थात् 617 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को 26/07/2024 से 24/11/2024 अर्थात् 122 दिनों में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (07/2024, 05/2024 एवं 03/2024) की औसत खपत क्रमशः (605+561+686/3=617.33 यूनिट अर्थात् 617 यूनिट) के आधार पर संशोधित के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब बदलकर एम0आर0आई0 पोर्ट युक्त विद्युत मापक स्थापित करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

29.03.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Elect: icity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhw'al Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135-2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135-2763672-75 फैक्स-0135-27673
ई-मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 183 / 2024

श्रीमती राधा मिश्रा पत्नी आकाश मिश्रा — परिवादी
निवासी– आडवाणी प्लाट ए 358 शिवम एन्क्लेव
रायवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 28.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि विभाग द्वारा उनको को एक वर्ष व उससे पूर्व से बिल नही दिये जा रहे थे। प्रार्थी जब माह 04 / 2023 को उपखण्ड कार्यालय रायवाला में गयी तो तब जाकर बिलिंग क्लर्क द्वारा बिल बनाकर दिया गया। इसके उपरान्त फिर प्रार्थी को बिल नहीं दिया गया। क्षेत्र के लाईन मैन व जेई साहब से जब बिल न बनने के बारे में जानकारी चाही गयी तो उनके द्वारा भी सहायता नही की गयी। तदोउपरान्त प्रार्थी माह 09 / 2023 को उपखण्ड कार्यालय गयी तो बिलिंग क्लर्क द्वारा बिल बनाकर दिया गया और कहा गया की अब घर पर ही बिल मिल जायेगा। किन्तु इसके बाद भी प्रार्थी को बिल नही दिये गये और माह 12 / 2024 में रू0 80211.00 का बिल बनाकर दिया गया

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

है, जोकि न्योचित नही है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी के बिल का संज्ञान लेते हुये प्रार्थी के गलत बिल को निरस्त कर प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 90, दिनांकित 29/01/2025 से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन संख्या RK1231489884 पर स्थापित विद्युत मीटर सहायक अभियन्ता, (मी0) विद्युत परीक्षण शाला, शैल विहार ऋषिकेश की मीटर सीलिंग रिर्पोट अनुसार दिनांक 17.12.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 764057 में मीटर रीडिंग 22456 Kwh पाया गया तथा मीटर भी सही पाया गया, जिसके उपरान्त उपखण्ड कार्यालय द्वारा मीटर सीलिंग रिर्पोट के आधार पर 22456 Kwh का विद्युत बिल कुल धनराशि 80211.00 का निर्गत किया गया। इस कार्यालय के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग TDS Management Consultant Pvt. Ltd. के द्वारा की जाती है जिस कारण TDS Management Consultant Pvt. Ltd को unbilled उपभोक्ताओं के बिल प्रत्येक माह निर्गत करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाते है। सहायक अभियन्ता, (मी0) विद्युत परीक्षण शाला, शैल विहार ऋषिकेश के कार्यालय द्वारा आई0डी0एफ0 के आधार पर उपभोक्ता का मीटर दिनांक 24.12.2024 को बदलकर नया मीटर संख्या GU166307 स्थापित कर दिया गया। इस संबंध में इस कार्यालय पत्रांक 74/वि0वि0उ0ख0रा0ऋ0/दिनांक 25.01.2025 के माध्यम से सहायक अभियन्ता, (मी0) विद्युत परीक्षण शाला, शैल विहार ऋषिकेश को पत्र प्रेषित कर उपभोक्ता श्रीमती राधा मिश्रा, के विद्युत संयो पर स्थापित मीटर संख्या 764057 को दिनांक 17.12.2024 को सही पाये जाने के उपरान्त एक सप्ताह बाद ही आई0डी0एफ0 मानकर बदल दिये जाने के संदर्भ में अपनी रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। सहायक अभियन्ता, (मापक) शैल विहार ऋषिकेश, कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 25/वि0प0शा0/ऋषि0/दि0 28.01.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्रीमती राधा मिश्रा, के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत संयोजन का मीटर दिनांक 20.12.2024 को खराब मीटर के सापेक्ष बदला गया, तथा बदले गये मीटर का भौतिक निरीक्षण किया गया भौतिक निरीक्षण में भी उपभोक्ता का मीटर खराब पाया गया जिससे की खराब मीटर की रीडिंग व एम0आर0आई0 नहीं हो पायी है। यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा माह 10/2023 के उपरान्त वर्तमान तक (लगभग 15 माह से) विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 30/11/2024 से 26/12/2024 अर्थात् 27 दिनों में 4 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 22116 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि मे अर्थात् 27 दिन में 22116 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 819.11 यूनिट अथात् 819 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है विपक्षी उक्त विवादित खपत का कोई ठोस तकनीकि प्रमाण आदि प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। 4 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 819 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण मे माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 5: Metering & Billing 5.2.1(2)*** के विनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस कारण वर्तमान शिकायत की उत्पति हुई है।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त खपत को तकनीकि रूप से (एम0आर0आई0) आदि साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को 30/11/2024 से 26/12/2024 अर्थात् 27 दिनों में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त

विद्युत बीजक पूर्व की तीन मीटर यूनिट बिल चक्रों (07/2022, 05/2022 एवं 03/2022) की औसत खपत क्रमशः (222+144+121/3=162.33 यूनिट अथात् 162 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को 30/11/2024 से 26/12/2024 अर्थात् 27 दिनों में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन मीटर यूनिट बिल चक्रों (07/2022, 05/2022 एवं 03/2022) की औसत खपत क्रमशः (222+144+121/3=162.33 यूनिट अथात् 162 यूनिट) के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification October 29, 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 CHAPTER 5: Metering & Billing 5.2.1(2)*** के विनियम तहत् विद्युत बिल प्रेषित करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

28.03.
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135-2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135-2763672-75 फैक्स-0135-2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 186 / 2024

श्री बलवीर सिंह
निवासी– 70 / 1 फ्रेंड्स कालोनी
बल्लुपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 29.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि विद्युत विभाग द्वारा हमें पूर्व में जो बिल प्रेषित किये जा रहे थे वे बहुत कम दर पर दिये जा रहे थे, इससे पूर्व माह दिसम्बर 2024 में जो बिल प्रेषित किया गया वह भी रु0 1248.00 का था किन्तु वर्तमान बिल माह जनवरी 2025 का 3013 यूनिट का दिया गया है जो बहुत अधिक है जिसकी कुल राशि 12702 रु0 है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी को बिल में वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1487, दिनांकित 10/02/2025 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री बलवीर सिंह, 70/01 फेंडस कालोनी, देहरादून द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर बिल संशोधित करने को कहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता का माह 10/2024 से बिल एन0आर0 में बन रहे थे जिसको मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार बिल संशोधित कर दिया गया है, सुलभ सन्दर्भ हेतु संशोधित बिल की प्रति संलग्न की जा रही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 29/02/2024 से 31/07/2024 तक NR के आधार पर 05 विद्युत बिल जारी किये गये, इसके पश्चात् दिनांक 30.08.2024 को MU के आधार पर 01 विद्युत बिल जारी किया गया, पुनः दिनांक 31.10.2024 से 01.01.2025 तक NR के आधार पर 03 विद्युत बिल जारी किये गये, पुनः इसके पश्चात् 22.01.2025 को 3155 यूनिट MU के आधार पर 01 विद्युत बिल जारी किया गया । इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 09 बिल चक्रों में औसत (एन0आर/आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 29.02.2024 से दिनांक 22.01.2025 अर्थात् 10 विद्युत बिल चकों में प्रेषित एन0आर0/आई0डी0एफ0 के बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को बिल दिनांकित 29.02.2024 से दिनांक 22.01.2025 अर्थात् 10 विद्युत बिल चकों में प्रेषित एन0आर0/आई0डी0एफ0/एम0यू0 के बिलों में से UERC

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

29.03.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 188 / 2024

श्री हरमीत सिंह — परिवादी
निवासी– चुंगी नं0–1, बाबूगढ़
अपोजिट सैंट पौल स्कूल, विकासनगर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 29.03.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उपभोक्ता स्व0 दयाल सिंह, पता– चुंगी नं0 1, बाबूगढ, विकासनगर के संयोजन संख्या VN23122038579 का विद्युत बिल माह 10/2024 में रू0 6451.00 था, इसके बाद माह 12/2024 में अचानक से विद्युत बिल रू0 148622.00 आ गया , चूंकि उपभोक्ता के यहॉ पर इतना अधिक विद्युत उपभोग का संसाधन नही है कि जो इतना अधिक विद्युत बिल आया है। अतः उक्त के संबंध में आपसे विनम्र निवेदन है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल की जॉच कर बिल को संशोधन करने की कृपा करें जिससे की उपभोक्ता अपने सही बिल का भुगतान

कर सके एवं आपसे यह आग्रह है कि जब तक उपभोक्ता के बिल के संशोधन की प्रकिया पूर्ण नही हो जाती तब तक विद्युत संयोजन को न काटा जाये जिससे की उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो । उपरोक्त के क्रम में संज्ञान मे यह भी लाना है कि उपरोक्त विद्युत संयोजन का उपभोग हमारे द्वारा ही किया जा रहा है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 960, दिनांकित 01/03/2025 से मंच को अवगत कराया है कि:–

1. उपभोक्ता के संयोजन श्री दयाल सिंह, निवासी–चुंगी नंव–1, बाबूगढ़, विकासनगर के नाम पर है।
2. उपभोक्ता को माह जनवरी, 2025 का बीजक एम0आर0आई रीडिंग के आधार पर बनाया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 02/07/2023 से 09/12/2024 तक IDF के आधार पर 06 विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 10 बिल चक्रो में औसत (एन0आर/आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 02.07.2023 से दिनांक 09.12.2024 अर्थात् 10 विद्युत बिल चक्रों में प्रेषित एन0आर0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरुआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 02.07.2023 से दिनांक 09.12.2024 अर्थात् 10 विद्युत बिल चक्रों में प्रेषित एन0आर0/आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरुआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में से केवल फिक्स चार्ज लिया जाए।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/03/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

29.03.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 208/2024

Shri. Baldev Singh Rana **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 24.03.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 24.03.2024 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपा द्वारा परस्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 5–9 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा अपने सोलर मीटर हेतु आवेदन पत्र 7 जनवरी 2025 को जमा किया था। उ ई0सी0 रोड़ ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि मीटर टेस्टिंग लैब काम नहीं कर रहीं है। अतः मंच से निवेदन है विद्युत विभाग को सोलर मीटर स्थापित करनें हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1616 दिनांकित 03.03.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर सोलर मीटर दिनांक 19.02.2025 को स्थापित कर दिया है, जिसका मीटर लगने की सीलिंग की प्र मा0 मंच प्रस्तुत की जा रही है। विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 24.03.2025 को परिवादी के सोलर मीटर लगाये जाने उपरान्त का विद्युत बिल प्रस्तुत किया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एव दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/03/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 24/03/25
तकनीकि सदस्य

24/03/2
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य